

निःशुल्क वितरण



धम्म भूमि नागपुर

नमो बुद्धाय
भवतु सख्ख मंगलम



अत्त दीपो भव

SOCIAL ACTION GROUPS FOR AMBEDKARITE REFORM (SAGAR)

Office : 106, Sector-21B, Faridabad, Haryana

Printed By : Mansi Digital Graphic, Ballabgarh, Faridabad, Haryana

बुद्ध की ओर ही क्यों?



बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर

M.A., M.Sc., Ph.D., D.Sc., L.L.D, D. Lit, Barrister-At-Law

“ज्ञान का विकास ही मनुष्य का
अंतिम लक्ष्य होना चाहिए”

- बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर

“हम सबसे पहले
और
अंत में भारतीय हैं।”

- बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर

बुद्ध की ओर ही क्यों?

“मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ
जो स्वतंत्रता, समानता
और भाईचारा सिखाता है।”

- डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर

प्रस्तावना

सन 1917 में डॉ. भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा सरकार के साथ किए गए इकरारनामा के तहत रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। वहां से उनको छुआछात और जातिगत भेदभाव के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तभी डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 'कमाठी बाग' में इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया।

सन 1936 में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने मुंबई के ठाणे में हुए एक अधिवेशन में अपने विचार प्रस्तुत किए जो इनको बुद्ध की विचारधारा की ओर जाने का संकेत करते हैं। उस समय का उनके द्वारा दिया गया यह भाषण प्रस्तुत पुस्तक में 'बुद्ध की ओर ही क्यों ?' के रूप में दिया गया है।

बाबा साहब बुद्ध की ओर क्यों आकर्षित हुए उनको किए गए इस प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बुद्ध की विचारधारा उन्हें इसलिए प्रिय लगती हैं क्योंकि इसमें भाईचार, समानता और करुणा तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलती। इसमें जाति, वर्ण, अंधविश्वास तथा पाखंडवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यह विचारधारा मानवता को ही श्रेष्ठ मानती है।

SAGAR संस्था बाबा साहब और तथागत बुद्ध के विचारों को समाज में प्रचार-प्रसार करने का कार्य करती है। इसी प्रयास में बाबा साहब के 'संपूर्ण वांगमय भाग 37' से लिया गया यह भाषण निशुल्क वितरण के लिए प्रस्तुत है। आशा करते हैं कि पाठक इससे लाभान्वित होंगे।

साधुवाद

- SAGAR -

मुक्ति और उन्नति के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है

रविवार 17 मई, 1936 को पूर्व और दक्षिण ठाणे जिले के अछूतों ने कल्याण में एक महाअधिवेशन का आयोजन किया। यह अधिवेशन डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में धर्म परिवर्तन घोषणा को खुले समर्थन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आस-पास के 100 से 150 गांवों के अछूतों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर डा. बी.आर. अम्बेडकर के स्वागत में उमड़ पड़ी। 3 बजे अपराह्न कल्याण रेलवे स्टेशन पहुंचने पर अनेक नेता उनसे मिले और अभिनन्दन किया।

रेलवे स्टेशन के बाहर लोग नारे लगा रहे थे “अम्बेडकर जिन्दाबाद, थोड़े दिन में भीमराज” बाहर जुलूस में लगभग 4000 अछूत थे। इस जुलूस में बैंड पार्टी, शारिरिक व्यायाम तथा कलाबाजी और करतब करने वाले लोगों की मंडलियां भी थीं। पूरा वातावरण गूंगे और बहरे कहे जाने वाले अछूतों के प्यार तथा आत्मसम्मान की मनोदशा से ओत प्रोत था।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने विस्तार से समझाया कि अछूतों के पास धर्म परिवर्तन को छोड़ कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं है। – सम्पादक

“धर्म परिवर्तन के बारे में मेरे विचार जानने को आप यहीं सम्मिलित हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ।

कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं, “हम अपना धर्म परिवर्तन क्यों करें?” तब मेरी सहज प्रतिक्रिया उलट प्रश्न करने की होती है. “हम धर्म परिवर्तन क्यों न करें?”

मैं अपने जीवन में घटे कुछ दृष्टान्तों का वर्णन करूंगा तब आपको मेरे धर्म परिवर्तन के विकल्प को समझना आसान होगा। आपको भी अपने जीवन में ऐसे कटु अनुभव हुए होंगे।

मेरे जीवन में घटित चार या पांच घटनाओं ने मेरे मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी और मुझे हिन्दू धर्म त्यागकर कोई और धर्म अपनाने को प्रेरित किया। आज उनमें से दो या तीन घटनाएँ आपको बताऊंगा।

मेरा जन्म महु, इन्दौर में हुआ, जहां मेरे पिता जी सेना में सेवारत थे। वे उस समय सूबेदार थे। क्योंकि हम छावनी में रहते थे, सेना क्षेत्र से बाहर की दुनिया से वास्ता बहुत कम था। मुझे अस्पृश्यता का कोई अनुभव नहीं था। जब पेंशन पाकर मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हुए तो हम रहने के लिए सत्तारा चले गये। मैं जब पांच वर्ष का भी नहीं हुआ था तो मेरी मां चल बसी थीं। गोरेगांव में अकाल पढ़ रहा था इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने 'अकाल सहायता रोजगार' शुरू किया। उन्होंने पानी के एक बड़े हौज की खुदवाई शुरू की और मेरे पिताजी की नियुक्ति मजदूर शिविर पर मजदूरों में मजदूरी बांटने के लिए की गई। उनको इस सिलसिले में गोरेगांव शिविर में रहना पड़ा और हम चार बच्चे सत्तारा में रह गए।

चार-पांच साल तक हमें केवल चावल पर ही रहना पड़ा। सत्तारा आने के बाद ही हमें अस्पृश्यता किसे कहते हैं। इसका अनुभव हुआ। पहली चोट मुझे तब लगी जब मैंने यह जाना कि कोई भी नाई मेरे बाल काटने को राजी नहीं हुआ। इससे हम विचलित थे। मेरी बड़ी बहन जो अभी भी जीवित है, हमारे घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर मेरे बाल काटा करती थी। यह बात मेरी समझ से परे थी कि इतने नाइयों के होते भी, कोई नाई मेरे बाल क्यों नहीं काटता था।

दूसरा दृष्टांत भी उसी समय से संबंधित है। जब मेरे पिताजी गोरेगांव में थे तो वे हमें पत्र भेजते थे। एक पत्र में उन्होंने हमें गोरेगांव आने का निमन्त्रण दिया। रेलगाड़ी द्वारा गोरेगांव जाने के विचार ने मुझे बहुत रोमांचित किया क्योंकि मैंने तब तक रेलगाड़ी कभी नहीं देखी थी। मेरे पिताजी के भेजे रुपयों से हमने नये कपड़े सिलवाये और मेरा भाई, मेरी बहन की बेटी और मैंने गोरेगांव के लिए यात्रा शुरू की। हमने चलने से पहले ही एक पत्र भिजवाया था, परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे नौकर की लापरवाही के कारण या उसकी चूक के कारण वह पत्र मेरे पिताजी तक नहीं पहुंचा। हम आश्वस्त थे कि मेरे पिताजी किसी नौकर को हमें लेने रेलवे स्टेशन अवश्य भेजेंगे। रेलगाड़ी से उतरने के बाद जब हमें कोई नौकर नहीं दिखा तो हमें बहुत कष्ट हुआ।

जल्द ही सभी लोग प्रस्थान कर गए और हमारे अतिरिक्त प्लेटफार्म पर कोई यात्री नहीं बचा। हमने इंतजार में लगभग 45 मिनट व्यर्थ गंवाये। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस जाति से हैं और हमें कहां जाना था। हमने

बताया कि हम महार जाति से हैं। उसे यह सुनकर धक्का लगा और वह कोई पांच कदम पीछे हट गया। परन्तु हमारे कपड़े देख उसने अंदाजा लगाया होगा कि हम किसी संपन्न परिवार से हैं। उसने हमें भरोसा दिलाया कि वह हमें कोई बैलगाड़ी दिलवाने की कोशिश करेगा। परन्तु हमारी जाति महार होने के कारण कोई भी गाड़ीवान हमें अपने वाहन में नहीं ले जाना चाहता था। शाम होने वाली थी, शाम के 6 या 7 बजे तक हमें कोई गाड़ी नहीं मिली। अंततः एक गाड़ीवान हमें अपनी गाड़ी में ले जाने को तैयार हुआ। परन्तु उसने पहले ही यह बात खोल ली कि हमारे लिए गाड़ी की कोचवानी वह नहीं करेगा।

क्योंकि मैं सेना क्षेत्र में रहा हुआ था मुझे कोचवानी करने में कोई कठिनाई नहीं दिखी। जैसे ही हमने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली वह अपना वाहन ले आया और हम सब बच्चों ने गोरेगांव के लिए प्रस्थान किया। गांव के बाहर थोड़ी दूर पर हमें एक पानी का नाला दिखा। कोचवान ने हमसे कहा कि रास्ते में और कहीं पानी नहीं मिलेगा इसलिए हमें यहीं खाना खा लेना चाहिए। अतः हम गाड़ी से उतरे और भोजन किया। पानी गंदा था और उसमें गोबर और लीद भी मिली थी। इसी बीच गाड़ीवान भी अपना रात्रि का भोजन खाकर वापस आ गया था।

जैसे शाम का अंधेरा गहराया, गाड़ीवान भी चुपके से बैलगाड़ी में चढ़कर हम लोगों के पास बैठ गया। जल्दी ही अंधेरा इतना बढ़ गया कि मीलों तक न तो किसी दीपक की टिमटिमाती रोशनी और न ही कोई इन्सान दिख रहा था। डर, अंधेरा व अकेलेपन से हमें रोने को मन हो रहा था। आधी रात बीते काफी समय हो गया था और हमें डर लग रहा था। हम इतना डर गये थे कि लगा हम कभी गोरेगांव नहीं पहुंचेंगे। जब हम चुंगी नाका पहुंचे तो हम गाड़ी से कूद पड़े। हमने नाकादार से सवाल पूछा कि क्या आस-पास कुछ खाने को मिल सकता था। मैं फारसी भाषा जानता था इसलिए फारसी में बात करने में मुझे कठिनाई नहीं थी मैंने उससे फारसी में ही बात की। उसने रूखेपन से संक्षिप्त उत्तर दिया और पहाड़ियों की तरफ उंगली इंगित कर दी। किसी तरह हमने रात गहरी संकरी घाटी में बिताई और सुबह जल्दी ही गोरेगांव के लिए यात्रा पर दोबारा निकल पड़े। अंत में, अगले दिन मध्याह्न उपरान्त हम थककर निद्राल तथा लगभग अधमरे होकर गोरेगांव पहुंचे।

तीसरी घटना जब मैं बड़ौदा रियासत में सेवारत था, से संबंधित है। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति प्राप्त कर मैं विदेश शिक्षा पाने गया था। इंग्लैंड से वापस लौटकर अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत मैं बड़ौदा दरबार में सेवारत हुआ। मुझे बड़ौदा में रहने को घर नहीं मिला। पूरे बड़ौदा शहर में न कोई हिन्दू, न मुसलमान मेरे को घर देने को राजी हुआ किसी भी मोहल्ले में जगह न पाने से हताश होकर मैंने पारसी धर्मशाला में आवास पाने का निर्णय लिया। अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर मेरा रंग साफ व गोरा हो गया था और व्यक्तित्व भव्य। मैंने अपना फर्जी नाम 'अदलजी सोराबजी' रखा और पारसी बन एक पारसी धर्मशाला में रहने लगा। पारसी मैनेजर ने मुझे आवास 2/- प्रतिदिन की दर से दिया।

परन्तु जल्दी ही लोगों को इस तथ्य की भनक लग गई कि बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने एक महार लड़के को अपने दरबार में एक अधिकारी नियुक्त किया है। जल्दी ही मेरे फर्जी नाम से पारसी धर्मशाला में रहने को लेकर मैं संदेह के दायरे में आ गया और मेरा भेद खुल गया। मेरे वहां रहने के दूसरे ही दिन जब मैं सुबह का जलपान कर कार्यालय के लिए निकलने को था कि कोई पंद्रह से बीस पारसी लठैतों की भीड़ ने मुझे टोका और जान से मारने की धमकी देते हुए मुझसे पूछा कि मैं कौन था, मैंने कहा, "मैं एक हिन्दू हूँ"।

परन्तु उन्हें इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होना था। क्रोध में उन्होंने मेरे पर गालियों की बौछार कर दी और मुझे तुरन्त कमरा खाली करने को कहा। समय पर काम आई मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान से मुझे संबल मिला। नम्रता से मैंने 8 घंटे और ठहरने की स्वीकृति मांगी दिन भर मैंने आवास पाने के प्रयास किए परन्तु मैं कहीं भी सिर छुपाने के लिए जगह पाने में बुरी तरह विफल रहा। मैंने अपने कई मित्रों से सहायता मांगी परन्तु हर एक ने कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी प्रार्थना ठुकरा दी और मुझे ठहराने में असमर्थता जता दी। मैं पूरी तरह से निराश तथा निढ़ाल हो गया। आगे क्या करता ? निर्णय मैं नहीं ले पाया। निराश और पराजित मैं चुपचाप एक स्थान पर बैठ गया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। घर मिलने की कोई आशा न होने पर और नौकरी छोड़ना ही दूसरा विकल्प लगने की स्थिति में, मैंने त्याग पत्र दे दिया और रात की गाड़ी से बम्बई के लिए रवाना हो गया।

जीवन में भयभीत करने वाली ऐसी घटनायें आपके जीवन में भी अवश्य घटित हुई होंगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा ऐसे समाज के भीतर जीने की क्या तुक है जिसमें मानवता है ही नहीं, जिसमें आपके प्रति आदर नहीं, जो आपकी रक्षा नहीं करता और जो आपको मानव ही नहीं मानता? इसके विपरीत यह समाज आपका अपमान करता है, नीचा दिखाता है तथा तुम्हें आहत करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता। कोई भी मनुष्य जिसमें रत्तीभर भी आत्मसम्मान है और शिष्टाचार है इस निर्दयी धर्म से जुड़कर रहना पसन्द नहीं करेगा, केवल वे जो गुलामी पसंद करते हैं वे ही इस धर्म में रह सकते हैं।

मेरे पिता तथा पूर्वज बड़े श्रद्धालु हिन्दू थे परन्तु हिन्दू धर्म द्वारा लगाई पाबन्दियों के चलते वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। धर्म ने उन्हें शस्त्र धारण करने की स्वीकृति नहीं दी। हिन्दुत्व के अन्दर उनको धन अर्जित करना भी वर्जित था। इस धर्म का एक अनुचर होते हुए मेरे पिता ये तीनों वस्तुएं नहीं पा सके। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था परन्तु हिन्दू धर्म द्वारा लगाई गई रोकों के चलते मेरे लिए संस्कृत सीख पाना संभव नहीं हुआ। अब मेरे लिए, शिक्षा, धन पाना और शस्त्र धारण करना संभव हो गया है।

इस तथ्य के आधार पर कि हिन्दू धर्म ने तुम्हारे पूर्वजों को अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर किया और उन्हें हर प्रकार से नीचा दिखाया उनको गरीब तथा अज्ञानी बनाए रखा। ऐसे अत्यन्त दुष्टतापूर्ण धर्म की परत में तुम क्यों लिपटे रहना चाहते हो? अगर तुम अपने पूर्वजों की तरह अपमानजनक जीवन जीने, नीचे स्तर पर बने रहने और अपमान सहने को स्वीकार करते रहोगे तो तुम घृणास्पद ही बने रहोगे न ही कोई तुम्हें आदर करेगा, न ही कोई तुम्हारी सहायता को आएगा।

इन कारणों से धर्म परिवर्तन का प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर तुम हिन्दू धर्म की परत में ही बने रहते हो तो तुम्हारा स्तर एक दास के स्तर से ज्यादा नहीं हो सकेगा। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अगर मैं एक अच्छूत बना रहूंगा तो भी मैं किसी सवर्ण हिन्दू के बराबर का स्तर प्राप्त कर सकता हूं। इस प्रकार मैं हिन्दू बना रहूं या नहीं, इससे मेरे स्वास्थ्य पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। मैं एक उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति या विधायिका या विधान परिषद का सदस्य या एक मंत्री बन सकता हूं। परन्तु आपकी मुक्ति और प्रगति के लिए धर्म परिवर्तन मुझे अति आवश्यक लगता है।

प्रतिष्ठा से गिराए हुए तथा निर्लज्ज जीवन को बदलकर स्वर्णिम जीवन और भविष्य बनाने के लिए धर्म परिवर्तन नितांत आवश्यक है। मुझे आशा है कि आपकी दशा सुधारने हेतु आपके मित्र व शुभचिंतक अवश्य आपकी सहायता के लिए सहयोग देंगे। आपका भाग्य सुधारने के लिए मुझे धर्म परिवर्तन प्रक्रिया आरम्भ करनी होगी।

मैं अपनी प्रगति के प्रश्न के बारे में कतई चिंतित नहीं हूँ। जो कुछ भी मैं आज के दिन कर रहा हूँ उसमें आप सबका हित व प्रयोजन निहित है। आप मुझे ईश्वर की तरह सम्मान देते हो परन्तु मैं आप सबकी तरह एक मानव हूँ और मैं देवमूर्ति नहीं हूँ। आप मुझसे जो भी सहायता चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। मैंने आपको इस निराश व अपमानजनक अवस्था से छुटकारा दिलाने का निर्णय किया है। मैं कुछ भी निजी लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ। आपके उत्थान और आपके जीवन को उपयोगी तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मैं संघर्षरत रहूँगा, आपको अपना उत्तरादायित्व समझना अति आवश्यक है और मेरे दर्शाये मार्ग पर चलें। अगर आप गंभीरता से अनुपालन करेंगे तो लक्ष्य प्राप्त करना कतई कठिन नहीं होगा।”

मुक्ति का मार्ग क्या है?

येवला, जिला नासिक में 13 अक्तूबर, 1935 की घोषणा, की पृष्ठ भूमि में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 30 और 31 मई, 1936 को दादर, मुम्बई में एक सभा का आयोजन किया “मैं गम्भीरता से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूँगा।” इस सभा का एकमात्र उद्देश्य धर्म परिवर्तन आन्दोलन के लिए अपने लोगों के समर्थन का आकलन करना था। यहां लगभग तीस हजार अछूत महार उपस्थित थे। विशेषतौर पर निर्मित पंडाल में निम्न नारे प्रदर्शित थे:-

- ★ धर्म मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धर्म के लिए।
- ★ दयामय बनने के लिए, धर्म परिवर्तन करो।
- ★ संगठित होने के लिए, धर्म बदलो।
- ★ शक्ति प्राप्त करने के लिए, धर्म परिवर्तन करो।
- ★ समता लाने के लिए धर्म परिवर्तन करो।
- ★ स्वतंत्रता के लिए धर्म बदलो।
- ★ अपने निजी जीवन की खुशहाली के लिए धर्म बदलो।
- ★ उस धर्म में क्यों बने रहना चाहते हो जो तुम्हें मानव नहीं समझता?
- ★ उस धर्म में क्यों हो, जहां आपको मन्दिरों में प्रवेश निषेध है?

- ★ उस धर्म में क्यों हो, जिसमें आपको पानी पीने की मनाही है ?
- ★ उस धर्म में क्यों हो, जिसमें आपको शिक्षा प्राप्त करना वर्जित है ?
- ★ उस धर्म में क्यों हो, जहाँ आपका कदम-कदम पर अपमान किया जाता है।
- ★ उस धर्म में क्यों हो जिसमें आपको नौकरी पाने में अवरोध है ?
- ★ धर्म परायण मानवीय संबंधों की मनाही वाला धर्म नहीं-कोरा शक्ति प्रदर्शन है।
- ★ मानवता की पहचान को जो अधर्म कहे वह धर्म नहीं एक रोग है।
- ★ एक धर्म जो अपवित्र जानवर को छूने की आज्ञा देता हो, परन्तु मानव को छूने की मनाही करे, वह धर्म नहीं एक मूर्खता है।
- ★ एक धर्म जो योजनाबद्ध षडयंत्र से, एक वर्ण को शिक्षा से वंचित रखे, धन संचय तथा शस्त्र धारण करने को मना करे, यह धर्म नहीं है, बल्कि मानव जीवन का उपहास है।
- ★ एक धर्म जो निरक्षर को निरक्षर बने रहने तथा गरीब को गरीब बने रहने के लिए बाध्य करता है, धर्म नहीं एक दण्ड है।
- ★ वे जो दावा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है लेकिन इन्सान से, जानवरों से भी खराब व्यवहार करते हैं, वे पाखण्डी हैं। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहो।
- ★ वे जो चींटियों को चीनी खिलाते हैं लेकिन आदमियों को पानी पीने को मनाही कर मारते हैं वे पाखण्डी हैं। इनकी संगति से बचो।

एक यूरोपियन मिशनरी मि. स्टैनी जोन्स तथा श्री बी.जे. जाधव वहीं विशेषतौर पर आमन्त्रित थे। वहां पर बहुत से सिक्ख, मुस्लिम नेता तथा पुरोहित भी थे जो धर्म परिवर्तन के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संकेतों को समझने के उत्सुक थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 13 अक्टूबर 1935 को येवला में की गई घोषणा को कार्यान्वित करने के तरीके व नीति ढूंढना था। श्री डी. डोलास ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया जबकि श्री वी.एस. वेंकटराव हैदराबाद से आए दलित वर्ग के नेता, इस सभा के अध्यक्ष रहे।

इस बारे में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 31 मई 1936 को मराठी में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने तब पहले से तैयार भाषण का वाचन किया। - संपादक

उन्होंने कहा- देवियों और सज्जनो, अब तक आप जान गए होंगे कि यह सभा मेरे द्वारा हाल ही में धर्म परिवर्तन घोषणा पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उद्देश्य से बुलाई गई है। धर्म परिवर्तन का विषय मेरा बहुत प्रिय विषय है। केवल यही नहीं, मेरे विचार से आपका पूरा भविष्य इस विषय पर आधारित है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आपको इस समस्या की गम्भीरता अच्छे से समझ आ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इतनी विशाल संख्या में एकत्रित न हुए होते। मुझे इस भारी संख्या को देखकर बहुत खुशी है।

जनता, 20 जून 1936

धर्म परिवर्तन की आवश्यकता

मेरे धर्म परिवर्तन की घोषणा के पश्चात हमारे आदमियों ने विभिन्न स्थानों पर बहुत सी सभाएँ गठित की और अपने मत तथा विचार प्रकट किए जो आप तक पहुंच गए होंगे। लेकिन हमें पहले कभी इकट्ठे होकर धर्म परिवर्तन समस्या पर विमर्श तथा निर्णय लेने का अवसर नहीं मिला। मुझे इस अवसर की बहुत प्रतीक्षा थी।

आप सभी सहमत होंगे कि धर्म परिवर्तन आंदोलन को सफल बनाने की योजना अति आवश्यक है। धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह कोई मनोरंजन का विषय नहीं है।

यह मानव जीवन को सफल बनाने से संबंधित है। जिस तरह एक नाविक अपनी लंबी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी सभी आवश्यक तैयारी कर लेता है, उसी तरह हमें भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। इसके बिना दूसरे किनारे तक पहुंचना असम्भव है।

लेकिन जैसे एक नाविक तब तक सामान नहीं लादता जब तक कि उसे कितने मुसाफिर नाव पर चढ़ाने हैं का अन्दाजा नहीं लग जाता। मेरी भी स्थिति वैसी ही है और मैं सही तथ्यों के बगैर धर्म परिवर्तन आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तक मुझे यह पता नहीं कि कितने लोग हिन्दू धर्म त्यागने को तैयार हैं, मैं धर्म परिवर्तन की तैयारी शुरू नहीं कर सकता।

जब मैंने बम्बई के कुछ श्रमजीवियों के सामने यह प्रकट किया कि मैं धर्म परिवर्तन के बारे में लोगों की राय सभा में मिले बगैर जानने में सक्षम नहीं हूँ, उन्होंने स्वेच्छा से सभा को बुलाने का दायित्व बिना खर्च तथा बिना मजदूरी वहन किया।

हमारे आदरणीय नेता तथा स्वागत समिति के प्रधान श्री रियो जी दगड़जी, दोलास अपने भाषण में संयोजकों द्वारा उठाए गए कष्टों का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। मैं सभा की स्वागत समिति का आभारी हूँ जिन्होंने इस सभा के आयोजन में कड़ा परिश्रम व प्रयास किया।

केवल महारों की सभा क्यों?

कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं कि केवल महारों की सभा क्यों बुलाई गई? अगर धर्म परिवर्तन की घोषणा सभी अछूतों के लिए है तो सब अछूतों की सभा क्यों नहीं बुलाई गई? सभा के सामने विषयों पर विचार-विमर्श करने से पहले मैं इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यहां पर केवल महारों की सभा बुलाने के पीछे कई कारण हैं। पहले इस सभा के लिए हमने न ही सरकार से संरक्षण की मांग की है और न ही हिन्दुओं से सामाजिक अधिकारों की मांग उठाई है। सभा के सामने केवल एक प्रश्न है, “हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करें? हम अपने जीवन के भविष्य के रास्ते को कैसे तराशें? इस प्रश्न का हल संभव है और प्रत्येक जाति को अलग-अलग अपनी समस्या का हल निकालना आवश्यक है। यही कारण है कि मैंने सभी अछूतों की सभा एक साथ नहीं बुलाई।

केवल महारों की सभा बुलाने का एक कारण और है। मैंने लगभग दस महीने पहले घोषणा की थी। इस कार्यकाल में लोगों की चेतना जगाने के पर्याप्त प्रयत्न हुए। मुझे लगा कि लोगों की राय जानने का सही समय आ गया है। मेरे अनुसार राय जानने का सरल उपाय अलग-अलग जाति की अलग सभा करना है। धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के लिए लोगों की राय समझना आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि अछूतों की एक आम सभा बुलाने की अपेक्षा प्रत्येक जाति के लोगों की अलग-अलग सभा कार्यान्वित सभी अछूतों की वास्तविक राय जानने के लिए अधिक भरोसेमन्द होगी। इस तरह की सर्वजाति सभा की राय चाहे सभी अछूतों की राय कही जाए परन्तु सभी अछूत जातियों की प्रतिनिधि राय नहीं होगी। इस तरह की दुविधा से निपटने तथा लोगों की विश्वस्त राय जानने के लिए ही केवल महार जाति की सभा बुलाई गई। यद्यपि दूसरे समुदाय इसमें सम्मिलित नहीं हैं, इससे उनकी हानि नहीं है।

अगर उनमें धर्म परिवर्तन की इच्छा नहीं है तो उनको इस सभा में सम्मिलित न होने के पश्चात्ताप का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर वे सभी हिन्दू धर्म को छोड़ने के इच्छुक हैं और उनके रास्ते में ऐसी कोई रुकावट नहीं कि उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया है शेष समुदाय के अछूत लोग स्वतंत्र तौर पर अपनी जाति सभाएं और अपनी राय जग जाहिर करें। मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि इस तरह की सभाओं में मैं जितना हो सके सचमुच मदद करने के लिए तैयार रहूंगा, इतना परिचय बहुत है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। एक आम आदमी के लिए धर्म परिवर्तन जितना अधिक महत्वपूर्ण है, समझना उतना ही कठिन है। इस धर्म विषय पर आम आदमी को संतुष्ट करना आसान काम नहीं है। अतः आप लोगों के पूर्णतया आश्वस्त हुए बगैर धर्म परिवर्तन को कार्यान्वित करना जोखिम भरा है। मैं इस विषय को सुगम से सुगम तौर पर अपने स्तर पर समझाऊंगा।

धर्म परिवर्तन का भौतिक दृष्टिकोण

धर्म परिवर्तन विषय को सामाजिक और धार्मिक, भौतिक और अध्यात्मिक दृष्टिकोण दो पहलुओं से दृष्टिगत करना चाहिए, चाहे जो भी रहा हो या सोचने की कोई भी धारा हो पहले अस्पृश्यता की प्रकृति व इसके चलन को समझने की आवश्यकता है। इसके समझे बिना मेरी धर्म परिवर्तन की घोषणा के निहित वास्तविक अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने में आप अक्षम रहेंगे। अस्पृश्यता की स्पष्ट जानकारी व जीवन में चलन के लिए मैं आपको दी गयी यातनाओं तथा ज्यादातियों की कहानियों के स्मरण की सलाह दूंगा। उदाहरण स्वरूप सवर्ण हिन्दू द्वारा साधारण कारणों के लिए पिटाई जैसे कि आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने का अधिकार का दावा या सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने का अधिकार का दावा या शादी के दौरान वर का घोड़ी की पीठ पर बैठ जुलूस के अधिकार का दावा आम साधारण घटनाएं हैं। आप सभी इन तथ्यों के बारे में जानते हैं क्योंकि यह सब आपकी आंखों के सामने नित्य घटित होते हैं। लेकिन दूसरे बहुत से कारण हैं, जिनके लिए हिन्दू जाति के सवर्णों द्वारा अछूतों पर अत्याचार किए जाते हैं अगर यह भेद खोल दिए जाएं तो हिन्दुस्तान से बाहर के लोगो को चौका देंगे।

अछूत अगर अच्छा कपड़ा पहने तो वे पीटे जाते हैं। उनके लोहे तथा तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने पर उनको कोड़े लगाए जाते हैं। उनके घर जला दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भूमि की जुताई की। पवित्र धागा अपने शरीर पर पहनने के लिए वे पीटे जाते हैं। मरे हुए पशुओं को उठाने से मना करने पर तथा सड़ा मांस न खाने पर या जुराब व जूते पहन कर गांव की सड़क पर चलने या सवर्ण हिन्दुओं के आगे झुक कर अभिवादन न करने पर या खुले खेतों में पाखाना के लिए जाते समय तांबे के लोटे में परिक्षालन के लिए पानी लेकर जाने पर भी उनकी पिटाई होती है। हाल ही में एक घटना सामने आई जिसमें अछूतों की पिटाई इसलिए की, क्योंकि उन्होंने एक रात्रि भोजन में चपातियां (रोटियां) परोसी।

आपने ऐसी घटनाएं अवश्य सुनी होंगी और आप में से कई ने ऐसी यातनाएं अनुभव भी की होंगी। जहाँ पिटाई करना सम्भव नहीं होता, वहां समाज से बहिष्कार का अस्त्र आपके विरुद्ध उपयोग होने का ज्ञान भी आपको होगा। आप सबको ज्ञात है कि कैसे सवर्ण (छूत) हिन्दू आपको काम पर न रखने की पावन्दी, पशुओं को जंगल में चराने

पर रोक और आपके आदमियों पर गांव में घुसने पर रोक इत्यादि लगाकर आपके दैनिक जीवन में कठिनाइयां पैदा कर जीना दूभर कर देते हैं। परन्तु आप में से किसी विरले ने ही यह समझने की कोशिश की होगी कि ऐसा क्यों होता है। उनकी इस तानाशाही का आधार क्या है? मेरे लिए यह अतिआवश्यक है कि हम सब यह समझें।

यह एक वर्ग संघर्ष का मामला है

उपरोक्त उदाहरणों का किसी के व्यक्तिगत सद्गुणों या बुरी आदतों के साथ कोई संबंध नहीं है। यह किन्हीं दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच की पुश्तैनी दुश्मनी नहीं है। छुआछूत की समस्या भी वर्ग संघर्ष का मामला है। यह हिन्दू जाति के छूतों और अछूतों के बीच का संघर्ष है। यह एक आदमी के प्रति अन्याय करने का मसला नहीं है। यह एक वर्ग पर दूसरे के द्वारा अन्याय करने का मसला है। इस वर्ग संघर्ष का सम्बन्ध सामाजिक, स्तर का वर्ग है।

यह संघर्ष दर्शाता है कि एक वर्ग के दूसरे वर्ग के साथ सम्बन्ध कैसे रखने चाहिए। आप जैसे ही दूसरों के साथ बराबरी का व्यवहार करने का दावा करते हैं तुरन्त ही यह संघर्ष शुरू हो जाता है। अगर पहले से ऐसा नहीं होता तो रोटी परोसना, अच्छी किस्म के कपड़े पहनना, पवित्र धागा धारण करना, धातु के बर्तन में पानी लाना, घोड़े की पीठ पर दूल्हे का सवारी करना इत्यादि जैसे साधारण कारणों पर संघर्ष नहीं हुए होते। इन सभी मामलों में आप अपना धन खर्चते हैं, फिर भी उच्च हिन्दू जाति वाले क्रोधित क्यों होते हैं? उनके गुस्से का मात्र कारण बड़ा सीधा है आपको उनके साथ बराबरी के व्यवहार से उनकी बेईज्जती महसूस होती है। आपका स्तर उनकी आंखों में निम्न है, आप अशुद्ध हैं, वे आपको खुश रहने की आज्ञा तभी देंगे जब आप समाज की सीढ़ी का सबसे निचला डंडा ही बने रहोगे। जैसे ही आप अपने स्तर को पार करते हैं, संघर्ष शुरू हो जाता है।

उपरोक्त दिया गया उदाहरण एक और तथ्य को उजागर करता है कि छुआछूत की विशेषता अस्थायी न होकर स्थायी है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यह संघर्ष हिन्दू जाति तथा अछूतों के मध्य स्थायित्व तौर पर उल्लेखनीय है। यह संघर्ष कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उच्च सवर्ण वर्ग के लोगों के मतानुसार धर्म ने आपको

समाज के सबसे निचले स्तर पर रखा है और अपने आप में यह व्यवस्था आदि और अनन्त है। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है।

आप आज समाज की सीढ़ी रूपी रीढ़ के सबसे निम्न स्तर के डंडे हैं। आप सदा ही निम्न स्तर पर रहे व आगे भी बने रहोगे। इसका मतलब है कि हिन्दुओं तथा अछूतों के बीच का संघर्ष आगे भी चलता रहेगा। इस महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक संघर्ष के बीच आप कैसे बचे रहोगे और सोच के बगैर आप यहां से बाहर निकल भी नहीं सकते। केवल आपको इस समस्या पर सोचने की आवश्यकता नहीं है जो हिन्दुओं के हुक्म बजाने में जीने की इच्छा रखते हैं, या वे जो उनके दास बने रहने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जो आत्मसम्मान तथा समता का जीवन जीने की इच्छा रखते हैं आपको इस प्रश्न पर अवश्य सोचना होगा। इस संघर्ष में हम कैसे जीवित रहेंगे? मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है। आप सब श्रोता जो यहां एकत्रित हुए हैं, सहमत होंगे कि किसी संघर्ष में शक्तिशाली ही जीतता है। वह जिसमें शक्ति नहीं है उसे सफलता की आशा भी नहीं करनी चाहिए। यह अनुभव के द्वारा सिद्ध हो चुका है और मुझे इस पर और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है।

पहले शक्ति हासिल करो

अब आपको इस प्रश्न पर सोचना आवश्यक है कि क्या इस संघर्ष में अस्तित्व में बने रहने के लिए आप सक्षम हैं? तीन तरह की शक्तियों से आदमी परिचित है। 1. आदमी की ताकत 2. धन, और 3. बौद्धिक शक्ति। इनमें से कौन सी शक्ति आपके पास है? जहां तक आदमी की ताकत का प्रश्न है यह साफ है कि आप अल्पसंख्यक हैं। बम्बई प्रेसीडेंसी में अछूत कुल जनसंख्या का केवल आठवाँ हिस्सा है और वे भी असंगठित हैं। उनकी अपनी जातियां उनको संगठित होने की आज्ञा भी नहीं देती हैं। वे भली भांति जुड़े भी नहीं हैं बल्कि गांवों में बिखरे हुए हैं।

इन्हीं कारणों से ये अल्प जनसंख्यक अछूत संघर्ष में नम्बर जुटा पाने में असमर्थ है इसलिए और कमजोर पड़ते हैं। वित्तीय शक्ति भी इसी तरह की है। यह एक अविवादित तथ्य है कि कम से कम कुछ आदमियों की ताकत तो है लेकिन आपके पास वित्तीय ताकत बिल्कुल नहीं है। आपके पास न ही व्यापार, न ही काम, न ही

नौकरी और न ही जमीन है। उच्च जाति के लोगों द्वारा रोटी के टुकड़े बाहर फेंक दिये जाते हैं उसी से आप जीवित रहते हैं। आपके पास न ही खाना है, न ही कपड़े, आपके पास क्या वित्तीय शक्ति है? अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप समस्या समाधान के लिए सक्षम नहीं है कि आप सुधार के लिए अदालत जा सकें। हजारों अछूत अपमान सहन करते हैं, क्योंकि अदालत जाने को उनके पास घन नहीं है और निडर हिन्दुओं के हाथों तानाशाही और अत्याचार, बिना सिसकी के सहने को मजबूर हैं, क्योंकि वे अदालत के खर्चों को वहन करने में सक्षम नहीं हैं। बौद्धिक शक्ति की स्थिति भी अभी तक खराब है। सदियों से आपने न केवल उच्च जाति की सेवा की है बल्कि उसकी तानाशाही व अपमान भी झेले हैं, बिना किसी शिकायत या शिकवे के, क्योंकि आप मुंहतोड़ जवाब नहीं देते तथा विद्रोह करने के स्वर मर चुके हैं। आपमें आत्मविश्वास उत्साह और अभिलाषा लुप्त हो चुकी है।

इस सबने आपको लाचार, उत्साहहीन तथा धीमा बना दिया है। सभी तरफ अपराजय तथा निराशावादी बातावरण बना हुआ है। आपका दिमाग छोटे से विचार तक, जिससे आप कुछ कर पाएँ को पैदा होने ही नहीं देता।

अत्याचार केवल आप पर ही क्यों ?

मेरे द्वारा ऊपर व्यक्त तथ्य अगर सत्य हैं तो आपको इसके परिणाम से भी सहमत होना होगा। निष्कर्ष यह है कि अगर आप केवल अपनी शक्ति पर निर्भर करते हैं तो आप अत्याचार का सामना कभी भी नहीं कर पाओगे। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि आप पर अत्याचार केवल इसलिए होता है क्योंकि आप में शक्ति नहीं है। यह भी नहीं कि केवल अकेले आप ही अल्पसंख्या में हैं। मुस्लिम भी आप की तरह अल्पसंख्या में हैं। महार तथा मांगों की तरह गांवों में उनके घर भी कम हैं।

परन्तु मुस्लिमों को छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता जबकि तुम हमेशा तानाशाही के निशाने पर हो। ऐसा क्यों है? यह एक स्थायी प्रश्न है और आपको इसका उचित उत्तर अवश्य ढूंढना चाहिए। मेरे विचार में इस प्रश्न का केवल एक उत्तर है कि हिन्दू इस यथार्थ को अच्छे से समझते हैं कि भारत की पूरी मुस्लिम जनसंख्या उन गांव के दो घरों के साथ है इसलिए हिन्दू उन मुस्लिमों को छेड़ना तो दूर, स्पर्श करने तक का साहस

नहीं जुटा पाते। वे गांव के दो घर स्वतंत्र और निडर जीवन गांव में बिताते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर किसी हिन्दू ने किसी मुसलमान पर बिना उकसाये आक्रमण किया तो पंजाब से मद्रास तक का पूरा मुसलमान समुदाय उनके संरक्षण के लिए हर हालत में धावा बोलने पहुंच जाएगा।

इसके विपरीत, हिन्दू पूरी तरह आश्वस्त हैं कि अछूतों को बचाने कोई नहीं आएगा, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, कोई धन राशि तुम तक नहीं पहुंचेगी और चाहे कुछ भी हो जाए कोई अधिकारी भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तहसीलदार तथा पुलिस छूत हिन्दुओं में से हैं और छूतों तथा अछूतों में किसी विवाद की दशा में वे अपनी जाति का पक्ष लेते हैं न कि अपने कर्तव्य का। हिन्दू तुम्हारे साथ अन्याय व तानाशाही केवल तुम्हारे असहाय होने के कारण करते हैं। ऊपर की चर्चा से दो तथ्य स्थापित होते हैं।

पहला, बिना शक्ति के आप अत्याचार व तानाशाही का मुकाबला नहीं कर सकते तथा दूसरा कि तानाशाही का विरोध करने के लिए आप में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। यह दो तथ्य सिद्ध होने पर तीसरा तथ्य अपने आप परोक्ष में आता है कि तानाशाही का विरोध करने के लिए शक्ति बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपको यह शक्ति बाहर से कैसे प्राप्त करनी है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिना किसी पूर्वाग्रह के हमें इस प्रश्न पर गहन चर्चा करनी पड़ेगी।

सामर्थ्य बाहर से प्राप्त करना आवश्यक है

मुझे ऐसा लगता है, इस देश में जातिवाद और धार्मिक मतांधता का लोगों के दिमाग व नैतिकता पर एक अनोखा प्रभाव होता है। इस देश में किसी को भी लोगों की निर्धनता तथा कष्ट को देखकर बुरा नहीं लगता यानि कोई सहानुभूति नहीं होती और अगर किसी को दर्द की अनुभूति होती है तो वह कष्ट को समाप्त करने का प्रयास नहीं करता।

लोग केवल अपनी ही जाति तथा धर्म के लोगों की निर्धनता, दुःख व कष्ट में सहायता करते हैं। यद्यपि यह नैतिकता से विमुखता को दर्शाता है, पर हम यह न भूलें कि इस देश में यही चलन है।

गावों में छूत, अछूतों का शोषण करते हैं, का ये अर्थ नहीं है कि उन गांवों में दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते और उनको स्पष्ट तौर से अछूतों के साथ अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार

का ज्ञान नहीं है या इस बात का ज्ञान नहीं कि छूतों का अछूतों पर अत्याचार करना अति अनुचित है। परन्तु उनमें से कोई भी अछूतों के बचाव में आगे नहीं आता।

इसके पीछे क्या कारण है? अगर आप किसी से प्रार्थना भी करते हैं तो वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता, उसका उत्तर यह है कि हर किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप करना उनके अधिकार में नहीं है और अगर आप उनके धर्म के अनुयायी होते तो वे आपकी सहायता अवश्य करते। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी दूसरे समाज से गहरे सम्बन्ध बनाए बिना या उनके धर्म के अनुयायी बने बिना आपको बाहर से शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उसका स्पष्ट अर्थ है कि आप अपना धर्म अवश्य छोड़ें और किसी दूसरे समाज में सम्मिलित हो जाओ।

इसके बिना आपको उस समाज की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक आपको बाहर से सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता तब तक आप और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को इसी दयनीय अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करना होगा।

धर्म परिवर्तन का आध्यात्मिक पक्ष

अभी तक भौतिक लाभ पाने के लिए धर्म परिवर्तन क्यों जरूरी हैं, पर हमने चर्चा की है। अब मैं अपना मत आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि आध्यात्मिक सुख के लिए धर्म परिवर्तन क्यों आवश्यक हैं। धर्म किसलिए है? इसकी आवश्यकता क्यों है? आइए हम इसे समझें। आप पाएंगे कि विभिन्न लोगों ने धर्म को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया है। परन्तु इन सभी परिभाषाओं में एक ही सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण और सर्व स्वीकृत है। जो लोगों के ऊपर शासन करे वह धर्म है। धर्म की यही एक सही परिभाषा है। यह परिभाषा मेरी नहीं है। सनातनी हिन्दुओं के सबसे अग्रणीय नेता श्रीमान तिलक इस परिभाषा के लेखक हैं। अतः कोई भी मुझ पर धर्म की परिभाषा में गलत आकलन का दोष नहीं लगा सकता। यद्यपि यह परिभाषा मैंने नहीं दी है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे केवल तर्क के लिए स्वीकार कर लिया है।

मैं इसे स्वीकार करता हूँ। धर्म का अर्थ है समाज को कायम रखने के लिए नियमों को थोपना। धर्म के बारे में मेरी भी यही धारणा है। यद्यपि यह परिभाषा वास्तविकता और तर्क के आधार पर सही लगती है परन्तु समाज पर शासन के लिए बनाए नियमों

की प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती। समाज के चलन के लिए नियमों की प्रकृति के बारे में अभी भी प्रश्न बना हुआ है। यह प्रश्न धर्म की परिभाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि धर्म की परिभाषा से यह सुनिश्चित नहीं होता कि कौन कृत्य धर्म है और कौन कृत्य धर्म नहीं है। परन्तु जहाँ नियम समाज को बांधते हैं वहीं नियमों की प्रकृति और प्रयोजन से समाज का शासन प्रभावित होता है। धर्म की प्रकृति क्या हो? इसके उत्तर पर निर्णय करते समय एक और प्रश्न उभर कर आता है कि मानव और समाज में क्या सम्बन्ध होना चाहिए।

आधुनिक दार्शनिकों की इस प्रश्न के उत्तर में तीन अवधारणाएँ दी हैं। कुछ ने कहा है कि समाज का अन्तिम लक्ष्य व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त कराना है। कुछ दार्शनिकों का मत है कि मनुष्य के अनुवांशिक गुणों और क्षमताओं का विकास जिससे वह व्यक्ति अपनी उच्चता प्राप्त करने में सफल हो “समाज का दायित्व है। कुछ दावा करते हैं कि सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तिगत विकास और प्रसन्नता नहीं है परन्तु एक आदर्श समाज का निर्माण करना है। हिन्दू धर्म की धारणा इन तीनों धारणाओं से बिल्कुल भिन्न है। हिन्दू धर्म में किसी एक व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है।

हिन्दू धर्म वर्गीकरण की धारणा पर निर्मित है। हिन्दू धर्म एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार के बारे में कोई उपदेश नहीं देता। निजी तौर पर एक धर्म जो व्यक्तिगत इकाई के महत्व को स्वीकृति प्रदान नहीं करता मुझे मान्य नहीं है। यद्यपि समाज एक व्यक्तिगत आवश्यकता है, केवल सामाजिक कल्याण धर्म का अन्तिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। मेरे अनुसार व्यक्ति का कल्याण और विकास धर्म का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। यद्यपि हर व्यक्ति समाज का अंग है, व्यक्ति का समाज के साथ सम्बन्ध शरीर और अंग या ठेले और इसके पहिए की भांति नहीं है।

समाज और व्यक्ति

मनुष्य का व्यवहार पानी की बूंद की तरह नहीं बिल्कुल भिन्न है क्योंकि पानी की बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र में ही समा कर अपनी पहचान खो देती है इसके विपरीत मनुष्य समाज में रहकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। आदमी का जीवन स्वतंत्र है, वह समाज सेवा के लिए पैदा नहीं हुआ अपितु अपने विकास के लिए

हुआ है। केवल इसी कारण विकसित देशों में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास नहीं बना सकता। वह धर्म जिसमें एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, यह मुझे स्वीकार नहीं है। हिन्दूत्व एक व्यक्ति विशेष के महत्व को स्वीकार नहीं करता इसलिए यह मुझे स्वीकार नहीं है।

मैं उस धर्म को स्वीकार नहीं करता जिसमें केवल एक वर्ग को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है दूसरे को अस्त्र धारण करने का अधिकार प्राप्त है, तीसरे को व्यापार और चौथे को केवल सेवा। हर एक को ज्ञान की आवश्यकता है, हर एक को शस्त्रों की आवश्यकता है, हर एक को धन चाहिए। वह धर्म जो यह सब भूल जाता है और केवल कुछ को शिक्षित करना और शेष सबको अंधेरे में रखता है, एक धर्म नहीं परन्तु मानसिक दासता के लिए एक षड्यन्त्र है। एक धर्म जो एक को अस्त्र धारण करने को कहता है और दूसरे पर रोक लगाता है, धर्म नहीं है। एक दूसरे को जन्म जन्मान्तर तक दास बनाए रखने की धूर्तता की चाल है। यह धर्म जो कुछ के लिए सम्पदा प्राप्त करने का रास्ता खोलता है और दूसरों के रोजमर्रा के जीवन की जरूरतों के लिए निर्भर रहने का दबाव डालता है, एक धर्म नहीं बल्कि स्वार्थपूर्ति है।

इसको हिन्दुत्व में चतुर्वर्ण कहा गया है। मैंने इसके बारे में अपना पक्ष रख दिया है। अब आप विचारें कि क्या हिन्दुत्व आपके लिए लाभप्रद है? बुनियादी विचार से धर्म का कर्तव्य किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास का वातावरण तैयार करना है। यदि आप इससे सहमत हैं तो यह स्पष्ट है कि आप हिन्दुत्व में अपना विकास बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को अपना स्तर पर ऊंचा करने के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता है। सहानुभूति, समता और स्वतंत्रता। क्या आप अपने अनुभव से कह सकते हैं कि इन तीनों तत्वों में क्या कोई भी तत्व आपके लिए हिन्दुत्व में विद्यमान है?

क्या हिन्दुत्व में आपके लिए कोई सहानुभूति है?

जहां तक सहानुभूति का प्रश्न है इसका अस्तित्व नहीं है। आप कहीं भी जाओ आपको सहानुभूति से कोई देखता भी नहीं है। आप सबको इसका खूब अनुभव है। हिन्दुओं में आपके प्रति कोई बंधुत्व नहीं है। आपके साथ विदेशियों से भी अधिक बुरा व्यवहार होता है। अगर गांव में रहने वाले हिन्दुओं और अछूतों पर दृष्टिपात करें

तो कोई भी उनको भाई नहीं मानेगा। वे तो एक लड़ाई के मैदान में विरोधी सेनाओं की तरह ज्यादा दिखते हैं। हिन्दुओं का आपके प्रति उतना भी आकर्षण नहीं है जितना कि मुस्लिमों के साथ है। वे मुस्लिमों को आपसे ज्यादा नजदीक समझते हैं। स्थानीय बोर्ड, विधान परिषद और व्यापार में हिन्दू और मुस्लिम एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्या आप एक भी ऐसा दृष्टान्त बता सकते हैं, जिसमें छूत हिन्दुओं ने आपके प्रति सहानुभूति दिखाई हो।

इसके विपरीत, उन्होंने आपके प्रति घृणा का बीज बोया। वे लोग जो अदालत में न्याय मांगने गए या पुलिस की सहायता के लिए गए उनको इस भयानक घृणा के लिए क्या-क्या झेलना पड़ा, उन्हीं से सुना जा सकता है। क्या आप में से कोई भी विश्वस्त है कि उसको अदालत से न्याय या पुलिस से सही सहायता मिलेगी? अगर नहीं तो आपके प्रति यह घृणा के बीज बोने का क्या कारण है? मेरे विचार से इस अविश्वास का एक ही कारण है। आप विश्वास करें कि हिन्दू अपनी शक्ति का प्रयोग उचित ढंग से नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें आपसे सहानुभूति नहीं है। अगर यह सत्य है तो ऐसी घृणा के बीच में रहने का क्या अर्थ है?

क्या हिन्दुत्व में आपके लिए समता है?

वास्तव में, यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अस्पृश्यता कुछ नहीं बल्कि एक ठोस असमानता है। असमानता की जीता जागता ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के इतिहास में किसी भी समय अस्पृश्यता से ज्यादा गंभीर असमानता नहीं मिलेगी। उच्चता और हीनता की भावनाओं के आधार पर एक अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सकता या एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन नहीं कर सकते। असमानता के ऐसे बहुत उदाहरण हैं। विश्व में कहीं भी हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज के अतिरिक्त ऐसा कोई धर्म नहीं है जिनमें एक मानव को दूसरे से नीचा माना जाता हो और उसके छूने पर रोक हो? क्या कोई विश्वास करेगा कि कोई ऐसा भी पशु है जिसको मनुष्य कहते हैं परन्तु मात्र उसके छूने से पानी दूषित हो जाता है। ईश्वर भी भ्रष्ट होकर पूज्यनीय नहीं रहता? क्या एक अछूत और कुष्ठ रोगी से किए जाने वाले व्यवहार में कोई अन्तर है? यद्यपि कुष्ठ रोगी को हाथ लगाने में लोगों को घृणा होती है परन्तु उनके मन में कुछ सहानुभूति तो होती है। आपको देखकर लोगों को उबकाई जैसा अनुभव होता है और उनके मन में

आपके प्रति घृणा भरी है। इस प्रकार आपकी दशा एक कुष्ठ रोगी से भी बुरी है। आज भी अगर कोई उपवास खोलते समय किसी महार की आवाज सुन लेता है तो वह भोजन को हाथ नहीं लगाता।

आपके शरीर और शब्दों को ऐसे मल से जोड़ा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म के नाम पर एक काला धब्बा है। इस कथन का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। क्योंकि कोई भी हिन्दू, हिन्दू धर्म को एक धब्बा नहीं मानता। हिन्दुओं में बहुतायत से यह धारणा है कि आप लोग एक धब्बा हो क्योंकि आप अशुद्ध हो। इस दशा तक आप कैसे पहुंचे? मेरे विचार से आपको इस दशा में धकेल दिया गया क्योंकि आप हिन्दुत्व से जुड़े रहे। आप में से जो मुस्लिम बन गए, हिन्दू उन्हें न तो अछूत मानते हैं और न ही असमान मानते हैं। ये ही मापदण्ड उन पर लागू होता है जो ईसाई बन गए। क्योंकि हिन्दू उन्हें भी न अछूत और न ही असमान मानते हैं। त्रावणकोर में हुई घटना का दृष्टान्त सुनाने लायक है। उस क्षेत्र के थिया कहलाने वाले अछूतों के गली में चलने पर रोक है। कुछ दिन पहले इनमें से कुछ ने सिक्ख धर्म अपना लिया। तुरन्त प्रभाव से उनके सड़क पर चलने को लगी रोक को वापस ले लिया गया। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि आपको अछूत और असमान मानने का कोई कारण है तो यह हिन्दू धर्म से सम्बन्ध होना ही है।

इस असमानता और अन्याय की स्थिति में कुछ हिन्दू अछूतों को शांत करना चाहते हैं। वे कहते हैं, “शिक्षा प्राप्त करो, स्वच्छ रहो और तब हम आपको छुएंगे और अपने समान मान लेंगे।” वास्तव में, हम सब अपने अनुभव से जानते हैं कि एक शिक्षित, धनी और स्वच्छ महार की दशा एक अशिक्षित, निर्धन और गंदे महार से कहीं अच्छी नहीं है। आओ हम अभी चिंतन करें कि यदि किसी को उसके अशिक्षित, निर्धनता या अच्छी पोशाक न होने से उसका आदर नहीं किया जाता तो एक सामान्य महार इसके लिए क्या करे? किसी को समानता कैसे प्राप्त हो सकती है जब उसको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, सम्पदा का अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही अच्छी वेशभूषा का? ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में समानता के सिद्धान्त का ज्ञान, धन और वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सब तो बाहर से दिखने वाले पक्ष हैं। ये दोनों धर्म मानवता की अनुभूति को धिक्कृत करते हैं। वे यह उपदेश देते हैं कि सबको मानवता का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी मानवता का अपमान नहीं करना

चाहिए और कोई भी दूसरे को अपने से असमान न माने। ऐसे उपदेश हिन्दू धर्म में देखने को नहीं हैं। इस धर्म की क्या उपयोगिता है जहां मनुष्य की मानवीय चेतना का सम्मान नहीं होता? और इससे चिपकने का क्या लाभ? इसके उत्तर में कुछ हिन्दू उपनिषदों की बात करते हैं और गर्व से कहते हैं कि उपनिषदों के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी हैं। यहां यह कहा जा सकता है। कि धर्म और विज्ञान दो अलग चीजे हैं।

यहां यह समझना आवश्यक है कि कोई विशेष मत विज्ञान का नियम है या धर्म की शिक्षा है। ईश्वर सर्व व्यापक है, विज्ञान का एक नियम है धर्म का नहीं, क्योंकि धर्म का सीधा सम्बन्ध मनुष्य के आचरण से है। ईश्वर का सभी जगह विद्यमान होना धर्म शिक्षा नहीं है परन्तु विज्ञान का नियम है। इस कथन को इस बात से बल मिलता है कि हिन्दुओं के कृत्य इस नियम के अनुरूप नहीं है। इसके विपरीत यदि हिन्दू आग्रह करें कि ईश्वर की सर्वविद्यमानता दर्शनशास्त्र का नियम नहीं है, बल्कि धर्म का सिद्धान्त है तो मेरा सरल सा उत्तर होगा कि पूरे विश्व में कहीं भी उन्होंने ऐसे संकुचित मनोवृत्ति वाले नीच इंसान नहीं देखे जैसे हिन्दुओं में हैं। हिन्दुओं को उन अत्याचारियों की श्रेणी में रखा जा सकता है जिनकी करनी व कथनी में उत्तर व दक्षिण ध्रुवों की दूरी है। उनके मुंह में राम है तो बगल में छुरी। वे संतों की वाणी बोलते हैं परन्तु उनके कृत्य कसाइयों वाले हैं। वे ईश्वर को सर्वव्यापक मानने का ढोंग करते हैं परन्तु मनुष्यों के साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार करते हैं उनके संग मत रहो। वे जो चींटियों को तो शक्कर खिलाते हैं परन्तु मनुष्यों को पीने के पानी पर प्रतिबन्ध लगा कर मारते हैं उनसे संपर्क मत करो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनकी संगत का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। आपने अपना सम्मान खो दिया है आपने अपना स्तर गंवा दिया है। यह कहना कि केवल हिन्दू ही तुम्हारा सम्मान नहीं करते अपर्याप्त है। केवल हिन्दू ही नहीं, मुस्लिम तथा ईसाई भी तुम्हें अधमों में सबसे अधिक अधम गिनते हैं। सत्यता तो यह है कि इस्लाम तथा ईसाई धर्म शिक्षा ऊंच और नीच का भेदभाव पैदा नहीं करते। तब इन दोनों धर्मों के अनुयायी तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों करते हैं, इसका कारण है कि हिन्दू तुम्हें नीचा मानते हैं। अगर वे तुम्हें समानता का स्तर दें तो उन्हें यह डर है कि हिन्दू उन्हें भी निम्न स्तर का मानेंगे। अतः मुस्लिम और ईसाई दोनों ही हिन्दुओं की तरह अस्पृश्यता को मानते हैं। इस तरह हम केवल हिन्दुओं की दृष्टि में ही नीचे नहीं हैं बल्कि हमारी गिनती पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा हमारे साथ किए जाने वाले व्यवहार के कारण सब से नीचे स्तर पर होती है। यदि आपको इस लज्जाजनक दशा से मुक्ति पानी

है यदि आपको अपने पर लगे कलंक को दूर करना है और इस मूल्यवान जीवन को शोभामित करना है तो उसका केवल एक मार्ग है कि हिन्दू धर्म तथा हिन्दू समाज को व्यर्थ समझकर त्याग दो।

क्या आपको हिन्दू धर्म में कोई स्वतंत्रता है?

कुछ लोग शायद कहें कि कानून ने दूसरे नागरिकों के समान आप को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी है। यह भी कहा जाता है कि दूसरों की तरह आप को स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे कथनों पर आप को गहराई से विचार करना होगा कि क्या वास्तव में इनका कुछ अर्थ है। व्यापार करने की स्वतंत्रता का आपके लिए क्या औचित्य रह जाता है जब आपको अपने पैतृक या पूर्वजों द्वारा किए गए धंधे के अतिरिक्त कोई भी दूसरा व्यवसाय करने पर समाज का प्रतिबंध है। किसी का यह कहना कि तुम्हें अपनी सम्पत्ति तथा जायदाद का उपभोग करने की स्वतंत्रता है और कोई भी दूसरा तुम्हारे पैसों को छुएगा भी नहीं जबकि उनके लिए जायदाद बनाने के सभी मार्ग बन्द हों तो इस स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अर्थ रह जाएगा? एक मनुष्य जिसे समाज ने उसके जन्म के आधार पर गन्दा मानकर किसी भी सेवा के लिए अयोग्य करार दे दिया हो तथा जिसके अधीन कार्य करना उसको दूसरों को घृणास्पद लगे यह कहना कि उसे सेवा करने का अधिकार है तो यह कथन उस मनुष्य के साथ एक भद्दा मजाक ही कहा जाएगा। कानून तो आपको कई अधिकारों की गारंटी दे सकता है, परन्तु असली अधिकार तो ये ही कहलाएंगे जिनको समाज प्रयोग करने की स्वीकृति दे। कानून तो अछूतों को अच्छे कपड़े पहनने के अधिकार की गारंटी देता है परन्तु हिन्दू छूत इसकी अनुमति अछूतों को नहीं देते तो इस अधिकार का उनको क्या लाभ? कानून अछूतों को धातु के बर्तनों में पानी लाने का अधिकार, धातु के बर्तनों के उपयोग का अधिकार, घरों की छतों पर खपरैल लगाने के अधिकार की गारंटी देता है, परन्तु हिन्दू समाज उन्हें इन अधिकारों के उपयोग की अनुमति नहीं देता। तब ऐसे अधिकारों का क्या औचित्य रह जाता है? ऐसे अनेक और भी दृष्टांत उद्धृत किए जा सकते हैं, जहां कानून का उल्लंघन किया जाता है।

संक्षिप्त में केवल वही अधिकार सही मायने में अधिकार कहला सकते हैं, जिन्हें समाज पालन करने दे। ऐसे अधिकार का प्रावधान जिसका सीधा विरोध समाज करता

हो, का कोई लाभ अछूतों के लिए तो है नहीं। कानूनी प्रावधानों से मिली स्वतंत्रता से कहीं अधिक सामाजिक स्वतंत्रता की अछूतों को तुरंत आवश्यकता है। जब तक आपको सामाजिक गुलामी से मुक्ति नहीं मिल जाती, कानूनी अधिकारों और प्रावधानों से आपको कोई लाभ नहीं। आपको कुछ लोग सुझा सकते हैं कि आपको शारीरिक स्वतंत्रता है। निःसन्देह कानूनी प्रतिबन्ध की सीमा में आप कहीं भी जा सकते हैं और बोल सकते हैं परन्तु ऐसी स्वतंत्रता हमारे है किस काम की? मानव के पास शरीर भी है मस्तिष्क भी। केवल शारीरिक स्वतंत्रता किस काम की। मस्तिष्क की स्वतंत्रता तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में, मनुष्य की शारीरिक स्वतंत्रता के अर्थ क्या है? इसके मायने हैं कि वह अपनी इच्छा से कोई कार्य करने को स्वतंत्र है। एक कैदी की हथकड़ियां तथा जंजीर खोल दी गई। इसका सैद्धान्तिक अर्थ क्या है? सिद्धान्त के अनुसार उसे अपनी स्वतंत्र स्वेच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसे अपनी योग्यताओं के अधिकतम उपयोग का अवसर प्राप्त हो। परन्तु इस सब स्वतंत्रता का उसे जिस का मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं हो, क्या लाभ हो सकता है? मस्तिष्क की स्वतंत्रता ही सही अर्थों में स्वतंत्रता है।

वह जिसका मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं, वह सांखल के बन्धन में नहीं होने पर भी दास है। जिसका मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है जीवित होने पर भी मृतप्राय है। प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का प्रमाण मस्तिष्क स्वतंत्रता में निहित है। एक मानव के भीतर स्वतंत्रता की लौ मस्तिष्क में अभी बुझी नहीं है, का मापदण्ड या प्रमाण कैसे निर्धारित किया जाए? किसी के बारे में हम यह निष्कर्ष कैसे निकालें कि वह मस्तिष्क से स्वतंत्र है? कोई भी सतर्क मानव जो अपने दायित्वों, अधिकारों व कर्तव्यों को समझता है, जो अपनी परिस्थितियों का दास नहीं है और विषम परिस्थिति को अपने अनूकूल बनाने को उत्सुक व प्रयासरत हो, मैं उसे स्वतंत्र मानता हूं। जो केवल इस तर्क पर कि यह उसे पूर्वजों से मिला है, व्यवहार, रीति रिवाज, परम्पराओं और धार्मिक उपदेशों में जकड़ा दास न हो और जिसकी तर्क की ली बुझी नहीं है, मैं उसे स्वतंत्र मानता हूं। वह जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया है, जो दूसरों के उपदेशों पर नहीं चलता, जो जब तक कोई भी बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और जब तक आलोचनात्मक मापदण्ड पर तथा कारण और प्रभाव सिद्धान्त पर सही न हो, विश्वास नहीं करता, उसे मैं स्वतंत्र मानता हूं। जो सदैव अपने अधिकारों की रक्षा करने को तत्पर हो, जिसे लोक निन्दा का डर न हो, जिसमें पर्याप्त बुद्धि हो और इतना आत्मसम्मान भरा हो कि दूसरों के हाथ

में खिलौना न बने, उसे मैं स्वतंत्र मानव मानता हूँ। वह, जो अपना जीवन दूसरों के दिशा-निर्देश पर निर्धारित न करे, जो अपने जीवन को अपने तर्कानुसार निर्धारित करे और जो अपने जीवन का नेतृत्व कैसे करना है कौन से मार्ग पर ले जाना है, यह निर्णय स्वयं करे उसे मैं स्वतंत्र मानव मानता हूँ।

ऊपर लिखे कथनों के प्रकाश में क्या आप स्वतंत्र है? अपने उद्देश्य को तराशने के लिए क्या आप स्वतंत्र है? मेरे विचार से न तो आपको कोई स्वतंत्रता है और आप दास से भी बदतर हैं। दासता में तुम्हारे तुल्य कोई नहीं। हिन्दू धर्म के अन्तर्गत किसी को भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जो भी हिन्दू धर्म का पालना करता है उसे अपने बोलने के अधिकार का समर्पण करना पड़ता है। उसे वेदों के अनुसार अनुपालन करना होगा। अगर कार्य शैली को वेदों से समर्थन नहीं मिलता तो निर्देश 'स्मृतियों' से प्राप्त करें। अगर किसी विषय पर स्मृतियों से भी दिसा न मिले तो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें। हिन्दुत्व में अन्तः करण, तर्क व विचारों का न तो कोई महत्व है और न ही कोई गुंजाइश। किसी भी हिन्दू को अनिवार्य रूप से वेदों या स्मृतियों या महापुरुषों की नकल का दास होना ही होगा।

उससे अपनी तर्क शक्ति के उपयोग की आशा नहीं की जाती। अतः जब तक आप हिन्दू धर्म के अधीन हैं, आपसे स्वतंत्र विचारों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कुछ लोग यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि हिन्दू धर्म ने मानसिक दासता केवल अछूतों पर ही तो जबरन नहीं थोपी परन्तु यह स्वतंत्रता तो सभी हिन्दू समुदाय से छीनी है। निःसन्देह यह एक सच्चाई है कि सभी हिन्दू मानसिक दासता की अवस्था में जी रहे हैं। परन्तु इसका यह कतई अर्थ न लगाया जावे कि सबकी वेदना की अनुभूति एक सी है। इस मानसिक दासता के बुरे प्रभाव हिन्दू धर्म के प्रत्येक अनुपालक या अनुयायी पर एक से नहीं हैं। इस मानसिक दासता ने छूत हिन्दुओं को आर्थिक पहलू पर कोई क्षति नहीं पहुंचाई। यद्यपि सभी छूत हिन्दू, ऊपर वर्णित तिकड़ी वेद स्मृतियां तथा महापुरुष के दास हैं परन्तु हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में उन्हें उच्च स्तर पर रखा गया है। उनको दूसरों पर सत्ता करने का अधिकार दिया गया है। यह एक अविवादित सत्य है कि छूत हिन्दूओं ने छूत हिन्दूओं के कल्याण और खुशहाली के लिए ही हिन्दू धर्म की व्यूह रचना की। जिसे वे धर्म की संज्ञा देते हैं, उस धर्म ने तुम्हें केवल दास की भूमिका दी। धर्म में वह सब व्यवस्था की गई है कि तुम दासता से किसी भांति बच न सको। अतः

आप को दासता की जंजीरों तथा बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता कहीं अधिक है, जितनी बाकी हिन्दुओं को अभी नहीं। इस प्रकार, हिन्दूत्व ने तुम्हारा दोहरा नुकसान करते हुए तुम्हारी प्रगति रोकी है। इसने अछूतों को मानसिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित व समाज से निष्कासित कर तुम्हें दास बना दिया। इसने बाहरी विश्व में भी दासता की शर्तें लगा कर अछूतों को विनाश की ओर धकेल दिया। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो तुम्हें अपना धर्म अवश्य बदलना चाहिए।

अछूतों का संगठन और धर्म परिवर्तन

वर्तमान में हो रहे अस्पृश्यता हटाओ आन्दोलन की इसलिए निंदा की जा रही है क्योंकि अछूत वर्ग में अनेक जातियां एक दूसरे से आपसी व्यवहार में जातिय दोषों में लिप्त ही नहीं वे अस्पृश्यता भी बरतते हैं। महार तथा मांग मिलकर भोजन नहीं करते। इन दोनों जातियों के लोग कूड़े कबाड़ हटाने तथा झाड़ु लगाने वालों को नहीं छूते और उनसे अस्पृश्यता बरतते हैं। इन लोगों का सवर्ण हिन्दुओं से अस्पृश्यता न बरतने की मांग करने का क्या अधिकार है। जबकि वे स्वयं अस्पृश्यता व जातिवाद बरत रहे हैं? यह प्रश्न हमेशा उठाया जाता है। अछूतों को उपदेश दिया जाता है कि वे पहले आपस की अस्पृश्यता को दूर कर समाधान के लिए आएँ। हमें इस तर्क की सत्यता को स्वीकार करना पड़ता है। परन्तु इसमें लगाया आरोप गलत है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अछूतों में सम्मिलित जातियां वर्गवाद तथा अस्पृश्यता में लिप्त हैं। परन्तु उन पर लगाया यह आरोप कि वे इस जुर्म के किसी प्रकार से अपराधी हैं सर्वथा गलत है। जातिवाद तथा अस्पृश्यता का आरम्भ अछूतों से नहीं वरन सर्वर्ण हिन्दुओं से हुआ है। जातिवाद तथा अस्पृश्यता के नियम निर्धारण का पाठ पढ़ाया तथा इसका प्रयोग भी सर्वर्ण हिन्दुओं ने ही किया।

अगर यह सत्य है तो इस जातिवाद व अस्पृश्यता का दायित्व सर्वर्ण हिन्दुओं पर ही है, न कि अछूतों पर। अगर यह पाठ गलत है तो इस झूठ के दोष का दायित्व उपदेश का है जिसने यह पाठ पढ़ाया न कि उसका जिसने इसे स्मरण किया। यद्यपि यह उत्तर सही लगता है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। यद्यपि जातिवाद तथा अस्पृश्यता जिस की जड़ें हमारे बीच भी हैं के कारणों के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं तो क्या इस प्रथा की भर्त्सना न करना और जैसे यह चल रही है, यथावत बने रहने देना उचित है? यद्यपि जातिवाद व

अस्पृश्यता के घुसने में दायित्व हमारा नहीं है यह तो हमारा दायित्व है कि इसे जड़ से समाप्त किया जाए। और मैं प्रसन्न हूँ कि यह जिम्मेवारी हमने स्वीकार कर ली है। मुझे विश्वास है कि महार जाति में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस कुरीति का समर्थक हो। अगर इस बारे में कोई तुलना करनी है तो नेताओं में करनी होगी। यदि हम महार जाति के शिक्षितों और ब्राह्मणों में तुलना करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि अछूतों के शिक्षित वर्ग, जातियों के उन्मूलन के बारे में ज्यादा उत्सुक हैं।

यह तथ्य स्वेच्छा से किए कार्यों से भी सिद्ध होता है। महारों में केवल शिक्षित ही नहीं यहां तक कि अशिक्षित व अनपढ़ महार भी जाति उन्मूलन आन्दोलन के नेतृत्व में अगुवाई करने को आतुर हैं यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि आज के दिन महार समुदाय में एक भी ऐसा नहीं है जो महार तथा मांग के अंतर्जातीय भोज का विरोध करे। मुझे बहुत संतोष का अनुभव हो रहा है, कि आपने जाति उन्मूलन की आवश्यकता के 'यथार्थ' को स्वीकार किया है तथा इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। क्या आप ने कभी सोचा है कि अछूतों में जातिवाद तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयासों को सफल कैसे बनाया जा सकता है? केवल छुटपुट अंतर्जातीय भोजों व अंतर्जातीय विवाहों से जाति उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता।

जाति मस्तिष्क की मनोदशा है, यह मस्तिष्क का रोग है। हम जातिवाद का पालन करते हैं तथा अस्पृश्यता को व्यवहार में लाते हैं क्योंकि हिन्दू धर्म हमें ऐसा करने को कहता है तथा हम हिन्दू धर्म के बीच रहते हैं। एक कड़वी वस्तु को मीठा बनाया जा सकता है। नमकीन तथा कड़वे स्वाद वाली वस्तुओं का स्वाद बदला जा सकता है। परन्तु विष से अमृत नहीं बनाया जा सकता। हिन्दुत्व में रहते जातिवाद के उन्मूलन की बात करना विष को अमृत में बदलने के समान है। संक्षेप में, जब तक हम हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं और वह धर्म एक मनुष्य से गंदगी के जैसा व्यवहार करने की सीख देता है, भेदभावपूर्ण बोध हमारे मस्तिष्क में गहरा बैठा है। इसे गिराया नहीं जा सकता। अछूतों में आपसी अस्पृश्यता तथा जाति उन्मूलन के लिए, धर्म परिवर्तन ही विष कम करने की उपयुक्त दवा है।

नाम परिवर्तन तथा धर्म परिवर्तन

अभी तक मैंने धर्म परिवर्तन के पक्ष में विचार रखे। मैं आशान्वित हूँ कि यह विश्लेषण आपके लिए विचारोत्तेजक होगा। वे जो इस चर्चा से डरते हैं उनकी खातिर मैं सामान्य भाषा और सामान्य विचार का प्रयोग करूँगा। धर्म परिवर्तन में ऐसा नवीन क्या है? वास्तविकता के धरातल पर सवर्ण हिन्दू के साथ आपके सामाजिक संबंध किस प्रकार के हैं? आप सवर्ण हिन्दुओं से उतने ही अलग हैं, जितने मुस्लिम और इसाई हैं। क्योंकि हिन्दू अंतर्जातीय भोज या शादी की पार्टियों में मुस्लिमों और इसाईयों के यहां नहीं जाते, उनका ऐसा ही संबंध आपके साथ है। आपका समाज तथा हिन्दुओं का समाज दो भिन्न-भिन्न गुट हैं। धर्म परिवर्तन से किसी भी समाज को यह नहीं लगेगा कि उनका समाज बंट गया। आप हिन्दुओं से उतने ही अलग रहेंगे जितने आज हैं। इस धर्म परिवर्तन के कारण कुछ नया नहीं होगा। अगर यह सत्य है तो मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन के नाम से क्यों डरे हुए हैं? यद्यपि आप धर्म परिवर्तन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं फिर भी आप नाम बदलने के महत्व को अवश्य समझ गये हैं। अगर आप में से किसी से भी उसकी जाति पूछें तो वह उत्तर देता है चोखामेला, हरिजन इत्यादि, परन्तु वह यह नहीं कहता कि वह महार है। कोई भी कुछ शर्तें पूरी किये बगैर अपना नाम नहीं बदल सकता।

ऐसे नाम परिवर्तन के पीछे सीधा सा कारण है। एक अनजान आदमी छूत तथा अछूत का अन्तर नहीं समझ सकता और जब तक एक हिन्दू को तुम्हारी जाति की जानकारी नहीं मिलती और वह आश्वस्त नहीं हो जाता कि तुम अछूत हो, वह तुम्हारे से घृणा नहीं कर सकता। सवर्ण हिन्दू तथा अछूत जब तक वे एक दूसरे की जाति से अनजान हैं एक दूसरे से यात्रा के दौरान बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वे एक दूसरे से पान, बीड़ी, सिगरेट, फल आदि का अदान प्रदान भी करते हैं। परन्तु जैसे ही हिन्दू को पता चलता है कि वह एक अछूत से बात कर रहा है तो उसके दिमाग में घृणा के कीटाणु अंकुरित होने लगते हैं। वह विचार करता है कि उसे धोखा दिया गया है। वह क्रोधित होता है और अन्त में वह अस्थायी मित्रता गालियों तथा झगड़े से समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आप को ऐसे अनुभव हुए हैं। आपको अवश्य मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? तुम्हारी जातियों के नाम उन्हें इतने मलिन लगते हैं कि उन शब्दों की ध्वनि से ही सवर्ण हिन्दू को उल्टी होने जैसा अनुभव होता है। इसलिए, अपने आप को

महार न कह चोखामेला बोल कर आप लोगों को धोखे में रखना चाहते हो। लेकिन आपको मालूम है कि लोग भुलावे में नहीं आते। चाहे आप अपने को चोखामेला कहो या हरिजन लोग समझ लेते हैं कि आप कौन हो। अपने कृत्यों से आपने नाम परिवर्तन की आवश्यकताओं को सिद्ध कर दिया है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप नाम बदलने को आवश्यक समझते हैं तो धर्म परिवर्तन में कोई आपत्ति क्यों? धर्म परिवर्तन भी नाम परिवर्तन की तरह ही है। धर्म परिवर्तन के साथ नाम परिवर्तन आपको अधिक लाभप्रद रहेगा।

अपने आपको एक मुस्लिम, एक इसाई, एक बौद्ध या एक सिक्ख कहना केवल धर्म परिवर्तन ही नहीं, नाम परिवर्तन भी है। यह परिवर्तन एक वास्तविक परिवर्तन है। इस नाम के साथ गंदगी नहीं लगी, यह एक सशक्त परिवर्तन है। कोई इसके उद्गम की तलाश नहीं करेगा। नाम बदलकर चोखामेला, हरिजन इत्यादि का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि इसमें असली नाम के साथ जुड़े तिरस्कार तथा घृणा दूसरे नाम के साथ स्थानांतरित हो जाते हैं। जब तक आप हिन्दू धर्म में रहोगे आप को नाम बदलने ही पड़ेंगे। अपने आप को हिन्दू कहना पर्याप्त नहीं है। कोई भी स्वीकार नहीं करता कि कोई हिन्दू भी होता है। ऐसे ही अपने आप को केवल महार कहने से भी काम नहीं चलेगा। जैसे ही आप नाम उच्चारण करोगे कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। आज एक नाम बदलने, कल दूसरा नाम और इस प्रकार एक घड़ी के पेंडुलम / लोलक की स्थिति में बने रहने की बजाय मैं आप से कहता हूं कि आप स्थाई तौर पर अपना धर्म परिवर्तित कर अपना नाम भी क्यों न परिवर्तन कर लें।

विरोधियों की भूमिका

इस धर्म परिवर्तन आन्दोलन के शुरू होते ही बहुत से लोगों ने बहुत आपत्तियां उठाई हैं। आओ हम इन आपत्तियों में सत्यता की जांच करें। कुछ हिन्दू धार्मिक होने का बहाना करते हुए आपको उपदेश देते हैं कि धर्म कोई आनन्द लेने की वस्तु नहीं है। धर्म को हम पोशाक की तरह प्रतिदिन नहीं बदल सकते। आप हिन्दू धर्म को त्यागकर किसी और धर्म के अनुयायी बनना चाहते हो तो क्या आप ने कभी विचार किया है कि आपके पूर्वज जो इस धर्म से इतने लम्बे काल से जुड़े रहे, क्या वे पागल थे? “अपने आप को बुद्धिमान कहलाने वालों ने यह प्रश्न उठाया है पर मुझे इस आपत्ति में कोई सार नहीं लगता। कोई मूर्ख ही यह तर्क दे सकता है कि वह अपने धर्म से केवल

इसलिए चिपका रहा क्योंकि यह धर्म उसके पूर्वजों का था। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा तर्क नहीं दे सकता। वे जो यह कहते हैं कि पूर्वजों के धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, संभवतः उन्होंने कभी भी इतिहास का अध्ययन नहीं किया। चिरकाल में आर्यों का धर्म वैदिक धर्म था जिसमें मुख्यतया तीन लक्षण विशेषकर गोमांस का भक्षण, मद्यपान तथा मौज उड़ाना उस समय के धर्म के अंग थे। हजारों की संख्या में भारत में इस धर्म के अनुयायी थे तथा आज भी कुछ ब्राह्मण उसमें वापस जाने के स्वप्न देखते हैं। अगर पुरातन धर्म से ही जुड़े रहना था तो भारत में लोग हिन्दू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म के अनुयायी क्यों बने? वैदिक धर्म छोड़ जैन धर्म के अनुयायी क्यों बने?

इस बात को नकार नहीं सकते कि हमारे पूर्वज प्राचीन धर्म के अनुयायी थे, परन्तु यह ज्ञात नहीं कि उस धर्म से क्या वे स्वयं इच्छा से जुड़े थे। इस देश में चतुर्वर्ण प्रणाली काफी लम्बी अवधि के लिए चली। इस प्रणाली में ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार, क्षत्रिय को युद्ध, वैश्य को व्यापार व संपदा तथा शूद्र को सेवा करने का अधिकार उस काल के नियम थे। इस प्रथा के अन्तर्गत शूद्र को शिक्षा, अस्त्र तथा सम्पत्ति अधिकार नहीं थे। आपके वे पूर्वज जिन्हें इस धर्म में निर्धन व निहत्थे बनाकर इस दशा में रहने को विवश किया गया, कोई भी सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति यह मानने को तैयार न होगा कि उन्होंने अपनी इच्छा से यह धर्म स्वीकार किया होगा। यहां यह समझना भी आवश्यक है कि क्या तुम्हारे पूर्वजों द्वारा इस धर्म व्यवस्था का विरोध करना सम्भव था। अगर उनके लिए विद्रोह करना सम्भव था और तब भी उन्होंने विद्रोह नहीं किया तभी हम यह कह सकते हैं कि यह धर्म उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया था। परन्तु यदि हम वास्तविक परिस्थितियों पर नजर डालें तो स्पष्ट तौर पर पायेंगे कि हमारे पूर्वजों को उस धर्म के बीच रहने को विवश किया गया था। अतः यह हिन्दू धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म नहीं है, परन्तु यह दासता तो उन पर लादी गई थी। हमारे पूर्वजों के पास इस दासता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के साधन उपलब्ध न होने के कारण वे विद्रोह नहीं कर पाए। वे दबाव में इस धर्म में रखे गये। उनकी असहाय वाली स्थिति के प्रकाश में उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यथार्थः कोई भी उन पर दया करेगा। परन्तु अब आज के युग की पौध को कोई भी किसी भी प्रकार की दासता में जबरन विवश कर नहीं रख सकता। उनको हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए भी अगर ये स्वयं को मुक्त नहीं करते तो बड़े खेद से उनको इस धरती पर रहने वाला अति नीच, दासत्व प्रिय और परम्पराओं पर आश्रित कहा जाएगा।

मनुष्य और पशु में अन्तर

हमें अपने धर्म से बांधा रहना चाहिए क्योंकि हमें यह हमारे पूर्वजों से मिला है, यह कथन किसी मूर्ख की ही वाणी हो सकती है। कोई समझदार व्यक्ति यह तर्क नहीं दे सकता। यह पशुओं के लिए एक उपयुक्त उपदेश है और किसी मनुष्य के लिए यह बात कि उन्हीं परिस्थितियों में रहता रहे जिनमें वह रहता रहा है कभी भी उपयुक्त नहीं। मनुष्य और पशु में यह अंतर है कि मनुष्य तो उन्नति कर सकता है परन्तु पशु नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन बदलाव का ही एक रूप है। परिवर्तन ही प्रगति का दूसरा नाम है। और यदि प्रगति धर्म परिवर्तन के बिना संभव नहीं है तो धर्म परिवर्तन आवश्यक है। एक प्रगतिशील मानव के मार्ग में पूर्वजों की देन धर्म कमी भी अड़चन पैदा नहीं कर सकता।

धर्म परिवर्तन के विरोध में एक और तर्क दिया जा सकता है कि धर्म परिवर्तन को पलायनवाद की मनोवृत्ति कह सकते हैं। आज अनेक हिन्दू, 'हिन्दू धर्म सुधार कार्य, करने पर तुले हैं। वे दावा करते हैं कि उनके प्रयास से अस्पृश्यता तथा जातिवाद का पूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। इसलिए, इस मोड़ पर धर्म परिवर्तन उपयुक्त नहीं है। कोई इन हिन्दू समाज सुधारकों के बारे में कोई मत व्यक्त करे, निजी तौर पर उन से मेरी घृणा है। मुझे उनके बारे में बहुत अनुभव है और उन अर्ध-बुद्धिजीवियों से मुझे प्रबल अनिच्छा अनुभव होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वे जो अपनी ही जाति में रहना चाहते हैं, अपनी ही जाति में ब्याह रचाना चाहते हैं और अपनी ही जाति में मरना चाहते हैं, अपने भ्रामक नारों, ("जैसे कि वे जाति प्रथा को तोड़ने का विश्वास दिलाते हैं और किसी अछूत के विश्वास न करने पर वे नाराजगी जाहिर करते हैं।") के बल पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जब मैं हिन्दू समाज सुधारकों के नारे सुनता हूँ तो मुझे बरबस अमेरिकी नीग्रो (हब्शी) के बंधन मुक्ति के लिए अमेरिकी गोरों के प्रयासों का स्मरण हो जाता है। वर्षों पहले अमेरिकी नीग्रो की हालत भारत में अछूतों के जैसी ही थी। दोनों में अन्तर केवल इतना है कि हब्शियों की दासता को कानून की स्वीकृति थी जबकि आपकी दासता धर्म की एक उत्पत्ति है।

कुछ अमेरिकी सुधारकों ने नीग्रो दास मुक्ति का बीड़ा उठाया हुआ था। लेकिन क्या हिन्दू समाज सुधारकों की तुलना अमेरिकी गोरों सुधारकों से की जा सकती है जिन्होंने

नीग्रो को मुक्ति दिलाई? उन अमेरिकी गोरे समाज सुधारकों ने अपने निजी संबंधियों के विरुद्ध सशस्त्र सैन्य लड़ाईयां लड़ीं। उन्होंने हजारों गोरे अमेरिकियों को जान से मार दिया क्योंकि वे दास प्रथा जारी रखने के समर्थक थे और ऐसा करते हुए अमेरिकी गोरे सैनिकों ने भी अपने खून का बलिदान दिया। जब हम इन घटनाओं का वर्णन इतिहास के पृष्ठों में पढ़ते हैं, तो हम यह कहने को विवश हो जाते हैं कि अमेरिकी समाज सुधारकों की तुलना में भारतीय सुधारक तो किसी गिनती में नहीं आते। “कहाँ राजा कहीं पोतराजा” जिसको उत्तर भारत में “कहाँ राजा भोज कहां गंगू तेली” कहते हैं वाली लोकोक्ति लागू होती है।

अपने आपको भारत के अछूतों के उपकारी कहने वाले सुधारकों से कोई पूछे कि क्या आप अपने ही हिन्दुओं व भाईयों के विरुद्ध गृह युद्ध लड़ने को तैयार हो जैसा अमेरिकी गोरो ने अपने ही गोरे भाईयों के विरुद्ध हब्सियों के निमित्त लड़ा था? अगर नहीं तो यह लम्बी चौड़ी सुधारों वाली बातों का क्या सार? अछूतों के निमित्त लड़ाई का दावा करने वाले हिन्दुओं में सबसे महान हिन्दू, महात्मा गांधी हैं। वे किस सीमा तक साथ दे सकते हैं। महात्मा गांधी जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, अछूतों के अत्याचारी हिन्दुओं के विरुद्ध बोलकर हिन्दुओं की भावनाओं को आहत करने को भी तैयार नहीं है। वह उनके विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ करना नहीं चाहते। वे हिन्दुओं के विरुद्ध कानूनी लड़ाई भी लड़ना नहीं चाहते। ऐसे सुधारकों से मुझे कुछ भला होते नहीं दिखता।

दोष केवल छूत हिन्दुओं का ही है

कुछ हिन्दू अछूतों की सभा में उपस्थित होते हैं और सवर्ण हिन्दू जाति की निंदा करते हैं। कुछ मंच पर विराजमान होकर अछूतों को उपदेश देते हुए कहते हैं, “भाईयो, स्वच्छ रहो, शिक्षा ग्रहण करो, अपने पैरों पर खड़े हो, इत्यादि। वास्तव में अगर दोषारोपण करना है तो दोष केवल सवर्ण हिन्दुओं का है। ये सवर्ण हिन्दू ही गलत करते हैं। इस पर भी कोई इन सवर्ण हिन्दुओं को इक्के कर इनकी भर्त्सना नहीं करता। वे लोग जो हिन्दुओं की सहायता से और हिन्दू धर्म में बने रहकर अछूतों को आन्दोलन जारी रखने का उपदेश देते हैं, को इतिहास की कुछ घटनाओं का स्मरण कराना चाहूंगा। पिछले विश्व युद्ध में एक अमेरिकी और ब्रिटिश गोरे सैनिक के बीच वार्ता

का पढ़ा हुआ अंश स्मरण हो रहा है। इस क्षण मुझे वह एकदम उपयुक्त लग रहा है। उनके वार्ता का विषय था कि युद्ध कितना लम्बा चलना चाहिए। अमेरिकी के इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेज ने बड़े गर्व से देते हुए कहा “जब तक अंतिम फ्रांसीसी नहीं मारा जाता हम यह युद्ध लड़ेंगे। इसके विपरीत जब हिन्दू समाज सुधारक अछूतों के निमित्त अंत तक लड़ने का दावा करता है तो उसका अर्थ अंतिम अछूत के मारे जाने तक का होता है। उनके नारे की घोषणा का यही अर्थ मेरी समझ में आता है।

आप के लिए यह निर्णय कठिन नहीं होना चाहिए कि जो केवल दूसरों के जीवन को दांव पर लगा कर युद्ध लड़ता है उसके जीतने की आशा नहीं होती। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी लड़ाई में स्वयं मरना है तो हमें गलत जगह से लड़ने का क्या लाभ? हिन्दू समाज को सुधारना न तो हमारा लक्ष्य है और न ही हमारा कार्यक्षेत्र। हमारा प्रयोजन तो अपनी मुक्ति पाना है। किसी और विषय से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमें धर्म परिवर्तन से मुक्ति मिल सकती है तो हम हिन्दू समाज को सुधारने का बोझा अपने कंधों पर लादने का दायित्व क्यों ले? और उसके लिए हम अपनी तेजस्विता, बल और धन का बलिदान क्यों दें? कोई भी हमारे इस आन्दोलन का गलत अर्थ “हिन्दू समाज के सुधार” से न जोड़े। हमारे आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य केवल अछूतों की सामाजिक स्वतंत्रता है और उतना ही सत्य है कि इस उद्देश्य की पूर्ति, धर्म परिवर्तन के बिना संभव नहीं। मेरी दृष्टि में समता पाने के दो उपाय हैं। समता या तो हिन्दू धर्म के अनुयायी बने रहने से मिलेगी या दूसरे धर्म में परिवर्तन से मिलेगी। अगर हमें हिन्दू बने रहते समता प्राप्त करनी है तो केवल छूत बन जाने मात्र से समस्या हल नहीं होगी। समता तो केवल तभी आएगी, जब अंतर्जातीय भोजन, अंतर्जातीय वैवाहिक संबंध होंगे अर्थात् अछूतों के साथ रोटी व बेटी का रिश्ता होगा। इसका अर्थ यह है कि चतुर्वर्ण का उन्मूलन कर देना चाहिए और ब्राह्मण धर्म को जड़ समेत उखाड़ फेंकना चाहिए। क्या यह सम्भव है? और यदि सम्भव नहीं, तो क्या हिन्दू धर्म के बने रहते कभी समता के व्यवहार की आशा रखना बुद्धिमत्ता होगी? और क्या आप अपने प्रयासों में सफल हो पाओगे? तुलना करें तो धर्म परिवर्तन बहुत सुगम रहेगा। हिन्दू समाज मुस्लिमों को समानता देता है। हिन्दू समाज ईसाई को समानता देता है। प्रत्यक्ष धर्म परिवर्तन से सामाजिक समता, सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। अगर यह सत्य है तो हम धर्म परिवर्तन का सरल रास्ता क्यों न अपनाएँ? मेरे मतानुसार इस धर्म परिवर्तन से अछूतों व हिन्दुओं दोनों को ही प्रसन्नता होगी।

जब तक आप हिन्दू बने रहोगे जब तक आपको स्पर्श से भ्रष्ट, भोजन और पानी तथा अंतर्जातीय विवाह जैसे विषयों पर संघर्षरत रहना पड़ेगा। और जब तक यह संघर्ष जारी रहेगा आप और हिन्दू एक दूसरे के लिए जन्म जब तक जन्मान्तर के शत्रु बने रहोगे। धर्म परिवर्तन से सब झगड़े जड़ से समाप्त हो जायेंगे। तब न तो आपको उनके मंदिरों पर दावे करने का अधिकार होगा और न ही उसकी आवश्यकता होगी। आपको सामाजिक अधिकारों जैसे अंतर्जातीय भोज, अंतर्जातीय विवाह इत्यादि की प्राप्ति के लिए संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो झगड़े समाप्त हो जायेंगे तथा एक दूसरे के प्रति प्यार और अच्छे संबंध होंगे। एक ओर हिन्दू तथा दूसरी ओर मुस्लिम और ईसाईयों के संबंधों पर दृष्टिपात करें। मुस्लिमों तथा ईसाईयों दोनों को हिन्दू अपने मंदिर में घुसने नहीं देते, ठीक वैसे ही जैसे आपको नहीं घुसने देते। उनके साथ भी अंतर्जातीय भोजन तथा वैवाहिक संबंध नहीं है।

इसके प्रभाव से मुक्त उनके प्रति आकर्षण तथा सम्मान जो हिन्दुओं का उनके साथ है, वह आप और हिन्दुओं के बीच नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि आप हिन्दूधर्मी हैं इसलिए हिन्दू समाज से सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के झगड़े बने रहते हैं। परन्तु मुस्लिम और ईसाईयों के हिन्दू धर्म से बाहर होने के कारण उनको सामाजिक और धार्मिक अधिकारों की लड़ाई हिन्दुओं से नहीं लड़नी पड़ती। दूसरे उनके हिन्दू समाज में अंतर्जातीय विवाह व अंतर्जातीय भोज जैसे सामाजिक अधिकारों का कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी हिन्दू उन्हें बराबरी का नहीं मानते। अतः अगर धर्म परिवर्तन से समानता लाई जा सकती है तो हिन्दुओं तथा अछूतों में सद्भावना बनाई जा सकती है तो अछूत इस सुगम मार्ग को अपनी प्रसन्नता तथा समानता पाने के लिए क्यों न अपनाएं? समस्या को इस कोण से देखते हुए, धर्म परिवर्तन ही आजादी का सही मार्ग है जिससे समता प्राप्त की जा सकती है। धर्म परिवर्तन पलायनवादी नहीं है और न ही यह कायरता का मार्ग, ये तो बुद्धिमत्ता का मार्ग हैं।

धर्म परिवर्तन के विरोध में एक और तर्क दिया जाता है। कुछ हिन्दू कहते हैं कि अगर आप जाति प्रथा के विरुद्ध कुण्ठा से ग्रसित होकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित होते हैं तो यह बेकार है। हिन्दू कहते हैं कि आप कहीं भी जाओ जातीयता तो मिलेगी ही। अगर आप एक मुस्लिम बनते हैं तो उसमें जातिवाद है, अगर आप ईसाई बनते हैं तो उसमें भी जातिवाद है। दुर्भाग्यवश यह स्वीकार करना पड़ता है कि जातिप्रथा

प्रणाली देश के दूसरे धर्मों में भी घुस गई है। परन्तु इस महा पाप की सिंचाई का दोष तो केवल हिन्दुओं पर ही है। इस रोग का स्रोत हिन्दू है और इसके बाद रोग ने दूसरों भी को ग्रस्त किया। उनके मत से वे असहाय थे। यद्यपि मुस्लिमों और ईसाईयों में भी जातियां हैं। परन्तु उसको हिन्दुओं के जातिवाद के बराबर ठहराना संकुचित मनोवृत्ति दर्शाएगा। हिन्दुओं की तुलना में मुस्लिमों और ईसाईयों में जाति प्रणाली के अंदर एक बहुत बड़ी भिन्नता है। प्रथम यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि ईसाईयों और मुस्लिमों में जातिवाद है तथापि, कोई यह नहीं कह सकता कि यह उनकी सामाजिक प्रणाली की मुख्य विशेषता है। अगर कोई पूछता है कि “आप कौन हैं”, उत्तर होगा—

“मैं एक मुस्लिम हूँ या” मैं एक पारसी हूँ। यह संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। किसी को आगे उसकी जाति पूछने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु यदि किसी हिन्दू से पूछा गया कि “आप कौन हैं?” और वो उत्तर दे, “मैं एक हिन्दू हूँ”। तो उसके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं मिलती। उससे फिर पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है? और बिना इसका उत्तर पाए उसके सामाजिक स्तर का अंदाजा नहीं लगता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू धर्म में जाति का कितना अधिक महत्व है और उसकी तुलना में इस्लाम और ईसाईयों में यह एकदम नगण्य है। हिन्दुओं की तुलना में मुस्लिमों और ईसाईयों की जाति प्रणाली में एक और अंतर है। हिन्दुओं की जाति प्रणाली हिन्दू धर्म पर आधारित है जबकि इस्लाम और ईसाई धर्मों में जातियों को धर्म की स्वीकृति नहीं है। अगर हिन्दू जातिप्रथा को समाप्त करने की घोषणा करते हैं तो धर्म उनके आड़े आएगा। इसके विपरीत अगर मुस्लिम और ईसाई अपने समाज से जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए आन्दोलन करना चाहें तो उनके धर्म इसमें आड़े नहीं आएंगे। बल्कि उनके धर्म कुछ सीमा तक इसका समर्थन करेंगे। यदि तर्क के लिए स्वीकार भी कर लें कि जातियां सब जगह हैं, तो भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि हिन्दू ही बने रहना चाहिए। अगर जातिप्रथा बेकार है तो भी तर्कसंगत निष्कर्ष यह निकलता है कि हम ऐसा मार्ग अपनाएं जिसकी जातिप्रथा में कुछ लचीलापन हो तथा साधारण और सुगम तरीके से जाति प्रथा का उन्मूलन किया जा सके।

कुछ हिन्दू कहते हैं, “अकेले धर्म परिवर्तन से क्या होगा? अपना आर्थिक और शैक्षणिक स्तर सुधारने का प्रयास करो”। इस उपदेश को सुनकर संभवतः हमारे कुछ लोग चकरा जाते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं।

इसलिए इसकी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ। पहला प्रश्न यह उठता है कि आपकी आर्थिक और शैक्षणिक अवस्था को कौन सुधारेगा? आप स्वयं या आपको यह तर्क देने वाले? मैं समझता हूँ कि वे लोग आपसे कृत्रिम सहानुभूति दर्शाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे, न ही उनकी तरफ से इस दिशा में किए गए प्रयास देखने में आए हैं। इसके विपरीत, प्रत्येक हिन्दू अपनी जाति का आर्थिक स्तर सुधारने का प्रयास करता है। उसका दृष्टिकोण अपनी जाति तक ही सीमित रहता है। ब्राह्मण स्त्रियों के लिए, ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने के लिए और बेरोजगार ब्राह्मणों को रोजगार दिलाने के लिए। सारस्वत (ब्राह्मणों की एक जाति) भी ऐसा ही कर रहे हैं। कायस्थ और मराठे यही कर रहे हैं। हर कोई अपना और अपनी जाति का उत्थान करने में लगा है और जिन्हें कोई कार्य नहीं मिलता वे ईश्वर की दया पर निर्भर हैं। आपको अपना उत्थान स्वयं करना है, कोई भी आपकी सहायता को आगे नहीं आएगा, यह ही हमारे समाज की वर्तमान दशा है।

इस स्थिति में ऐसे लोगों का उपदेश सुनने का क्या औचित्य है? आपको भ्रमित करने और आपके समय का नाश करने के अतिरिक्त ऐसे उपदेश का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। अगर आपको अपने आपको स्वयं सुधारना है तो हिन्दू लोगों की बकवास सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें आपको उपदेश देने का कोई अधिकार है। यद्यपि इतना उत्तर पर्याप्त लगे तो भी मुझे अभी कुछ और कहना है। मैं इस तर्क का खण्डन करना आवश्यक समझता हूँ।

मैं कुछ हिन्दुओं के ऐसे अटपटे प्रश्न से अचम्भित होता हूँ कि केवल धर्म परिवर्तन से क्या होगा? आज के बहुतायत सिक्ख, मुसलमान और ईसाई पहले हिन्दू थे और उनमें बहुत संख्या में शूद्र और अछूत थे। क्या ये आलोचक यह कहना चाहते हैं कि हिन्दू धर्म को छोड़ सिक्ख और ईसाई बनने वालों ने कोई उन्नति नहीं की? मगर यह सत्य नहीं है और यदि यह स्वीकारें कि धर्म परिवर्तन से इनकी दशा में निश्चित सुधार हुआ है, तो यह तर्क कि अछूतों को धर्म परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होगा, का कोई अर्थ नहीं है, इस पर वे लोग विचार करें। इस वक्तव्य का अप्रत्यक्ष अर्थ लगता है, “धर्म परिवर्तन से कुछ न होने का अर्थ लगता है कि धर्म अर्थहीन है।” यह मेरी समझ से परे है कि जब धर्म अर्थहीन है, इससे कोई लाभ या हानि नहीं है तो वे अछूतों को हिन्दू धर्म में ही बने रहने का तर्क क्यों देते हैं? यदि उनको धर्म में कोई उपयुक्तता नहीं दिखती तो वे इस अनावश्यक तर्क में क्यों पड़ते हैं कि कौन से धर्म को अपनाया जाए

और कौन से धर्म को छोड़ा जाए? वे हिन्दू जो पूछते हैं कि केवल धर्म परिवर्तन से क्या होगा, उन पर ऐसा ही एक प्रश्न दागा जा सकता है-

केवल स्वराज से क्या प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह सत्य है कि भारत के लोग अछूतों को चाहते हैं, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति की आवश्यकता अनुभव करते हैं तो स्वराज का क्या लाभ है। यदि केवल स्वराज से देश को लाभ मिलने वाला है तो निश्चय ही धर्म परिवर्तन से अछूतों को लाभ मिलेगा। इस समस्या पर गहन मंत्रणा के पश्चात हर कोई स्वीकार करेगा कि धर्म परिवर्तन अछूतों के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे स्वराज्य भारत के लिए। धर्म परिवर्तन अछूतों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वराज्य भारत के लिए। धर्म परिवर्तन और स्वराज्य का अंतिम उद्देश्य एक ही इन दोनों के अंतिम लक्ष में तनिक भी अंतर नहीं है। यह अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करने का है यदि मानवता के जीवन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है तो अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है, जो उनको मुक्ति दिलाएगा, किसी भी काल्पनिक विस्तार से धर्म परिवर्तन को निरर्थक नहीं ठहराया जा सकता।

सर्वप्रथम क्या प्रगति या परिवर्तन?

मैं यह चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ कि पहले आर्थिक प्रगति की जाए या धर्म परिवर्तन? आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता देने के पक्ष से मैं सहमत नहीं हूँ। धर्म परिवर्तन या आर्थिक प्रगति में से किसको प्राथमिकता दी जाए, यह वैसा ही नीरस विषय है जैसा कि राजनीतिक सुधार या सामाजिक सुधार की प्राथमिकता में से एक का चयन करना। समाज के विकास और उन्नति के लिए कोई निश्चित क्रम नहीं बनाया जा सकता। मैं धर्म परिवर्तन और आर्थिक सुधार में से धर्म परिवर्तन की उपयोगिता को ज्यादा महत्व दूंगा। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि जब तक आप पर अछूत होने का कलंक है तब तक आप आर्थिक प्रगति कैसे कर सकते हैं? अगर आप एक दुकान खोलें और लोगों को मालूम हो कि दुकानदार एक अछूत है तो कोई भी आपसे कुछ नहीं खरीदेगा। अगर आप सेवा के लिए अछूत प्रार्थी हैं तो आपके अछूत होने के पता लगने से आपको सेवा में नहीं लिया जाएगा। अगर आप में से कोई जमीन खरीदना चाहे और बेचने वाले को आपके अछूत होने का का ज्ञान हो जाए तो वह आपको जमीन नहीं बेचेगा। आप आर्थिक प्रगति के लिए कोई भी तरीके अपनाओ

आपकी अस्पृश्यता के चलते आपके सभी प्रयत्न नकारात्मक हो जायेंगे। अस्पृश्यता आपकी प्रगति के रास्ते में स्थाई रुकावट है। और जब तक आप इस स्थाई रुकावट को धर्म परिवर्तन द्वारा न हटा दें तब तक आपका मार्ग विपदा मुक्त नहीं होगा। आप में से कुछ के बच्चे किसी भी उपयुक्त स्रोत से पैसा लेकर शिक्षा पाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रलोभनवश अछूत बने रहकर प्रगति करना चाहते तो मैं उन नवयुवकों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा पूर्ति के बाद, यदि आपको उपयुक्त पद न मिले तो आप अपनी शिक्षा का क्या करेंगे ? क्या कारण है कि हमारे अधिकतर शिक्षित लोग आज भी बेरोजगार हैं ? मेरे विचार से अस्पृश्यता ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। अस्पृश्यता के कारण आपके गुणों का उचित आंकलन नहीं किया जाता आपकी मानसिक क्षमता के सम्मान की भी अस्पृश्यता के कारण गुंजाइश नहीं है। आपकी अस्पृश्यता के कारण आपको सेना की सेवा से बाहर कर दिया जाता है। आपकी अस्पृश्यता के कारण ही आपको पुलिस विभाग में भी नौकरी नहीं दी जाती। अस्पृश्यता के कारण आप चपरासी की नौकरी भी नहीं पा सकते। आपकी ऊंचे पदों पर पदोन्नति नहीं की जाती क्योंकि आप अछूत हैं। अस्पृश्यता एक प्रकार का अभिशाप है, जिसने आपका पूर्ण विनाश कर दिया है और आपके गुणों को धूल में मिला दिया है। इन परिस्थितियों में आप कितनी भी योग्यता प्राप्त कर लें, आपकी क्या उपयोगिता है ? यदि आप चाहते हैं कि निष्कपटता से आपकी योग्यता का आंकलन हो और, आर्थिक प्रगति के द्वार आपके लिए खुले हों, तो आपको अस्पृश्यता की बेड़ियों से छुटकारा पाना होगा। जिसके लिए धर्म परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है।

धर्म परिवर्तन के विरुद्ध संदेह

अभी तक हमने आलोचकों के द्वारा धर्म परिवर्तन के तर्कों का वर्णन किया है। अब मैं धर्म परिवर्तन के समर्थकों के द्वारा व्यक्त किए गए संदेहों का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। सबसे पहले यह सुनने में आया है कि कुछ महार चिन्तित हैं कि उनके वतन (ग्राम सेवक के पैतृक अधिकार) का भविष्य क्या होगा ? यह भी सुना है कि उच्च सवर्ण हिन्दुओं ने गांवों के महारों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उनको ग्राम सेवक की सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा। आप सबको ज्ञात है कि महार वतन को समाप्त करने से मैं किंचित मात्र भी चिंतित नहीं हूँ। मैं पिछले दस साल से यह कहता आया हूँ कि अकेला महार वतन, महारों का दुर्भाग्य सिद्ध हुआ है और जिस दिन महार की जंजीरों से ये लोग स्वतंत्र होंगे, उस दिन इनकी स्वतंत्रता के रास्ते

खुल जाएंगे। फिर भी, जो यह महार वतन चाहते हैं मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके धर्म परिवर्तन से वतन खटाई में नहीं पड़ेगा।

इस संदर्भ में, 1850 के अधिनियम को देखा जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकारी के अधिकारों और जायदाद पर उसके (वारिस के) धर्म परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस संदर्भित कानून को अनुपयुक्त समझते हैं, वे नागर जिले की परिस्थितियों को ध्यान से समझें। महार जाति के अनेक लोग इस जिले में ईसाई बन गए हैं और कुछ स्थानों पर एक ही परिवार में ईसाई भी हैं और महार भी। परन्तु धर्म परिवर्तित ईसाईयों के वतन अधिकार समाप्त नहीं हुए। इसकी पुष्टि आप नगर के महारों से कर सकते हैं। अतः धर्म परिवर्तन से किसी को वतन के समाप्त होने का भय नहीं करना चाहिए। दूसरा संदेह राजनैतिक अधिकारों के बारे में हैं। कुछ लोगों के मन में शंका है कि अगर वे धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनके सुरक्षा उपायों का क्या होगा। कोई यह न सोचे कि अछूतों के द्वारा प्राप्त किए गए राजनैतिक संरक्षण के महत्व को मैं नहीं समझता। अछूतों के लिए यह राजनैतिक अधिकार पाने के लिए जितने प्रयास मैंने किए और जितने कष्ट झेले, वैसा किसी और ने नहीं झेला। परन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि केवल राजनैतिक अधिकारों का मोहताज हो जाना उचित नहीं है। ये राजनैतिक संरक्षण जन्म जन्मांतर के लिए नहीं दिए गए। यह कभी तो समाप्त होंगे ही। अंग्रेज सरकार ने इस संरक्षण की सीमा 20 साल निर्धारित की थी। यद्यपि पूना सन्धि में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है फिर भी यह हमेशा-हमेशा के लिए रहने वाला नहीं। जो इन राजनैतिक संरक्षणों पर आश्रित रहना चाहते हैं, उनको यह अवश्य विचार करना चाहिए कि जब यह संरक्षण ले लिए जाएंगे तब क्या होगा। उस दिन हमारे राजनैतिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हमें अपनी सामाजिक शक्ति का आश्रय लेना होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सामाजिक शक्ति की हमारे अन्दर कमी है। इसलिए, मैंने आपको शुरू में ही सिद्ध कर दिया है कि यह शक्ति धर्म परिवर्तन के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें केवल वर्तमान की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। और अस्थायी लाभों के प्रलोभन से हमारे कष्ट बढ़ना निश्चित है। इन परिस्थितियों में, हमें स्थायी लाभों के बारे में सोचना आवश्यक है। मेरे विचार से धर्म परिवर्तन ही अनादि और अनन्त सुख का मार्ग है। इस प्रयोजन के लिए यदि हमें राजनैतिक अधिकारों की बलि चढ़ानी पड़े है तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। राजनैतिक संरक्षणों को धर्म परिवर्तन से कोई हानि नहीं होती।

यह मेरी समझ से परे है कि राजनैतिक संरक्षण धर्म परिवर्तन से खटाई में क्यों पड़ेंगे। आप जहां भी जाएंगे आपके राजनैतिक अधिकार और संरक्षण आपके साथ रहेंगे। इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर आप मुस्लिम बनते हैं तो आपको मुसलमानों के राजनैतिक अधिकार मिलेंगे, यदि आप ईसाई बनते हैं तो आपको ईसाईयों के राजनैतिक अधिकार मिलेंगे, यदि आप सिक्ख बनते हैं तो आपको सिक्खों के राजनैतिक अधिकार मिलेंगे। राजनैतिक अधिकार जनसंख्या पर आधारित है। किसी भी समाज के राजनैतिक संरक्षण उनकी जनसंख्या बढ़ने से और बढ़ जाएंगे। किसी को यह गलत धारणा न रहे कि यदि हम हिन्दू समाज को छोड़ते हैं तो निर्धारित की गई 15 सीटें हिन्दुओं को वापस चले जाएंगी। यदि हम मुस्लिम बनते हैं तो हमारी 15 सीटें मुसलमानों के आरक्षित स्थानों के साथ जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार, यदि हम ईसाई बनते हैं तो हमारी सीटें ईसाईयों के आरक्षित स्थानों में जुड़ जाएंगी। संक्षेप में, हमारे राजनैतिक अधिकार हमारे साथ ही रहेंगे।

अतः ये हर किसी के मन में न रहे। बल्कि आप यह ध्यानपूर्वक सोचें कि अगर हम हिन्दू रहते हैं और धर्म परिवर्तन नहीं करते, तो क्या हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे? कल्पना करें कि अगर हिन्दू एक अधिनियम पास कर कानून बनवाए कि अस्पृश्यता पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। छुआछूत का पालन करने वाले को दण्डित किया जायेगा। तब वे आपसे पूछ सकते हैं कि विधि द्वारा अस्पृश्यता हटा दी गई है और अब आप अछूत नहीं हैं। आप केवल गरीब और पिछड़े हुए हैं और दूसरी कई जातियां भी पिछड़ी हुई हैं। इन पिछड़ी जातियों के लिए हमने कोई राजनैतिक संरक्षण नहीं दिया है। तब आपको संरक्षण क्यों दिया जाए? आप गहन सोच के लिए मजबूर हो जाओगे। आपके इन प्रश्नों का क्या उत्तर होगा। मुस्लिम और ईसाईयों के लिए इसका उत्तर देना आसान रहेगा। ये कहेंगे “हमें राजनैतिक संरक्षण तथा अधिकार गरीबी, निरक्षरता या पिछलेपन के आधार पर नहीं दिये गये थे। परन्तु इसलिए दिए गए थे कि हमारा धर्म अलग है। हमारा समाज अलग है इत्यादि। और राजनैतिक अधिकारों में हमारा भाग अवश्य मिलना चाहिए और जब तक हमारा धर्म अलग है ये अधिकार मिलते रहने चाहिए। यह उनका उपयुक्त उत्तर होगा।

जब तक आप हिन्दू धर्म के अन्तर्गत रह रहे हैं तथा हिन्दू समाज में रह रहे हैं तब आप यह तर्क जब तक नहीं दे पाएंगे कि राजनैतिक संरक्षण का आपका अधिकार

इसलिए बनता है कि आपका समाज अलग है। जिस भी दिन आप हिन्दू दासता से मुक्ति पाने के लिए धर्म परिवर्तन करके हिन्दू समाज से स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसी दिन से आप यह तर्क दे पाओगे, अन्यथा नहीं। और जब तक आप स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते तब तक आप राजनैतिक संरक्षण तथा राजनैतिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते और आपके संरक्षण अधिकारों के स्थायित्व तथा सुरक्षा का संकट बना रहेगा, मेरे विचार से यह अज्ञानतावश होगा। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन कोई बाधा नहीं है बल्कि राजनैतिक संरक्षण को शक्तिशाली बनाने का एक मार्ग है। यदि आप हिन्दू धर्म में ही बने रहते हो तो आप अपने राजनैतिक अधिकार खो बैठोगे। यदि आप अपना राजनैतिक संरक्षण नहीं खोना चाहते तो धर्म परिवर्तन करो। केवल धर्म परिवर्तन से ही ये अधिकार स्थायी होंगे।

निष्कर्ष

मैं अपना निर्णय ले चुका हूँ। मेरा धर्म परिवर्तन निश्चित है। मेरा धर्म परिवर्तन किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं अछूत रहकर प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा धर्म परिवर्तन केवल आध्यात्मिकता पर आधारित है। हिन्दू धर्म मेरे प्रश्नों पर खरा नहीं उतरता। हिन्दू धर्म का मेरे आत्मसम्मान के संग मेल नहीं बैठता। परन्तु आपके लिए आध्यात्म तथा भौतिक लाभ के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक हैं। कुछ लोग धर्म परिवर्तन से भौतिक लाभ पाने के विचार पर मजाक बनाकर हंसते हैं। मैं ऐसे लोगों को मूर्ख पुकारने में जरा भी नहीं हिचकिचाता हूँ। एक धर्म जो कि उपदेश देता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होगा या क्या नहीं होगा केवल धनवानों के लिए उपयोगी हो सकता है। वे धनवान संभवतः अपने खाली समय में इस तरह के धर्म के बारे में सोचकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं।

यह पूर्णतया प्राकृतिक है कि वे जो अपने जीवनकाल में पूरी खुशियां पा चुके हैं, संभवतः इस तरह के धर्म को वास्तविक धर्म मानें जो कि मुख्यतौर पर उनको मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली खुशियों के बारे में बताता है। लेकिन उनको इससे क्या, जो धर्म विशेष में रहते-रहते जीवन समाप्त होने पर धूल में मिल गए, जिनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ जैसे कि रोटी और कपड़े को मना किया गया तथा उनसे मानव जैसा व्यवहार भी नहीं किया गया।

क्या इन लोगों से धर्म के नाम पर आप भौतिक आवश्यकताओं का विचार न कर केवल बन्द आंखों से आकाश की तरफ देखते रहने की आशा रखते हैं? गरीबी के लिए इन अमीरों तथा निचले लोगों के वेदान्त की क्या उपयोगिता है?

धर्म व्यक्ति के लिए हैं

मैं विशेषतया आपको बताता हूँ कि व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है, धर्म व्यक्ति के लिए है। मानव बनने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाओ। संगठित होने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाओ। शक्ति पाने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाओ। एकता लाने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाओ। स्वतंत्रता पाने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाओ। घरेलू जीवन खुशहाल बनाने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाओ। उस धर्म में आप क्यों बने रहना चाहते हैं जो कि आपके साथ मानव की तरह व्यवहार नहीं करता? उस धर्म में आप क्यों बने रहना चाहते हैं जो आपको शिक्षा प्राप्ति की आज्ञा नहीं देता? उस धर्म में आप क्यों बने रहना चाहते हैं जिसमें आपको मंदिरों में प्रवेश की मनाही है। उस धर्म में क्या आप क्यों बने रहना चाहते हैं जो आपको पानी के लिए रोकता है? उस धर्म में आप क्यों बने रहना चाहते हैं जो आपको नौकरी पाने में बाधा डालता है? उस धर्म में क्या आप क्यों बने रहना चाहते हैं जो आपको प्रत्येक स्तर पर अपमानित करता है? एक धर्म जो मानव और मानव के अधिकारों के बीच के सम्बन्ध को रोकता है, धर्म न होकर मात्र बल प्रदर्शन है। एक धर्म जो आदमी को आदमी नहीं समझता, धर्म न होकर एक बीमारी है। एक धर्म जो जानवरों को छूने की आज्ञा देता है, परन्तु मानव को छूने से मना करता है, धर्म न होकर एक निंदनीय मजाक है। एक धर्म जो एक वर्ग को शिक्षा से रोकता है, धन संचय को मना करता है, शस्त्र धारण करने को रोकता है एक धर्म न होकर मानव जीवन के साथ उपहास है। एक धर्म जो निरक्षर से निरक्षर बने रहने के लिए और गरीब से गरीब बने रहने के लिए, जोर डालता है धर्म न होकर एक दण्ड है।

मैंने यहां अपने सर्वोत्तम व ज्ञान से विस्तार से धर्म परिवर्तन से उठने वाली सभी सम्भावित समस्याओं का विश्लेषण करने की कोशिश की है। यह भाषण शायद लम्बा हो चुका है, लेकिन मैं फ़ैसला ले चुका था कि इस विषय पर शुरू से विस्तार से कहूँ। यह मेरे लिए आवश्यक था कि विरोधियों द्वारा धर्म परिवर्तन के बारे में सब बिन्दुओं के उत्तर दूँ। मेरा मत है कि धर्म परिवर्तन की घोषणा के महत्व को समझे बिना धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए और अन्ततः मैं इस समस्या पर विस्तार से विचार

करूंगा ताकि किसी को भी इसके बारे में शंका न रह जाए। मैं कह नहीं सकता कि कहां तक आप मेरे विचारों से सहमत होंगे लेकिन मेरी आशा है कि आप इस पर गम्भीरता से चिन्तन करें। मेरा विश्वास है कि भीड़ को प्रसन्न करना तथा लोकप्रिय बन जाना एक सामान्य मनुष्य के लिए अच्छा है, परन्तु एक नेता के लिए नहीं। मैं मानता हूँ कि नेता वह है जो बिना डर या समर्थन, बिना दोषारोपण करते हुए लोगों को उनके लिए अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है।

यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊँ कि आपके लिए क्या अच्छा है चाहे यह आपको न भाये। मुझे अपना कर्तव्य निभाना है और अब मैंने इसे निभा दिया है। अब आप फैसला लें और अपने उत्तरदायित्व को निभायें। मैंने धर्म परिवर्तन की समस्या को दो भागों में विभाजित किया है। या तो हिन्दू धर्म छोड़ें या इसमें बने रहें, समस्या का पहला भाग है। अगर हिन्दू धर्म सदैव के लिए परित्याग करते हैं, कौन सा दूसरा धर्म अपनाना चाहिए या कोई नया धर्म अपनाना चाहिए यह समस्या का दूसरा भाग है। आज मुझे समस्या के पहले भाग पर फैसला लेना है। जब तक हम पहले भाग का फैसला न कर लें दूसरे के बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। हमें पहले बिन्दु पर फैसला लेना आवश्यक है। मेरे लिए फैसले के लिए दूसरा मौका देना सम्भव नहीं होगा। आप इस सभा में क्या निर्णय लेते हैं इसके अनुसार मुझे भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी होगी। अगर आप धर्म परिवर्तन के विरुद्ध फैसला लेते हैं तो यह अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब मुझे स्वयं के लिए करना है वह करूंगा। अगर आप धर्म परिवर्तन के पक्ष में फैसला लेते हैं तो आपको मुझे वादा देना होगा कि भारी मात्रा में संगठित होकर हम वर्ग परिवर्तन करें। अगर फैसला धर्म परिवर्तन के पक्ष में लेना है और लोग व्यक्तिगत तौर पर किसी धर्म को पसंद करते हैं और अकेले या परिवार में अपनाते हैं तो मैं आपके धर्म परिवर्तन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मुझसे जुड़े हैं। जो कोई धर्म आप स्वीकार करते हैं, मैं पूरी तरह से उस धर्म में लोगों की अच्छाई के लिए प्रयास तथा सेवा करने के लिए तैयार हूँ। भावनाओं में बहकर मेरा अनुसरण न करें क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। आप इसकी स्वीकृति तभी दें, जब आप इससे आश्वस्त हों। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा, अगर आप मुझसे न जुड़ने का फैसला लेते हैं। बल्कि मुझे कर्तव्यों के दायित्व की मुक्ति से राहत मिलेगी। आपको यह बात स्मरण रहे कि यह एक गम्भीर स्थिति और अवसर है। आपका आज का फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनहरा भविष्य होगा। अगर आप

स्वतंत्र होने का फैसला करते हैं तो आगे की पीढ़ियों का भविष्य पूर्णतः स्वतंत्र होगा। अगर आप दास बने रहने का फैसला लेते हैं, तो आपकी पीढ़ियों का भविष्य भी दासता का होगा। अन्ततः आपके लिए यह कठिन काम है।

स्वयं को प्रज्ज्वलित करो

यह विचार करते हुए कि इस अवसर पर मैं आपको क्या संदेश दूँ मुझे भगवान बुद्ध का संदेश जो उन्होंने अपने भिक्षु संघ को अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले भेजा था का स्मरण किया। इसे महापरिनिर्वाण सुता में उद्धृत किया है।

एक बार भगवान बीमारी से स्वास्थ्य लाभ के बाद पेड़ के नीचे अपने आसन पर आराम कर रहे थे। उनका शिष्य पूज्यनीय आनन्द भगवान बुद्ध के पास गया और उनका अभिवादन कर उनके समीप बैठ गया और कहा कि “मैंने भगवान को बीमारी में और प्रसन्नता में देख लिया है। परन्तु भगवान की वर्तमान बीमारी से मेरा शरीर सीसे की भांति भारी हो गया है, मेरे मस्तिष्क में शांति नहीं है। मैं धम्म पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे सांत्वना तथा संतुष्टि की अनुभूति हो रही है कि संघ को संदेश दिए बिना भगवान परिनिर्वाण नहीं पा सकेंगे और नहीं पाएंगे।

इस पर भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया “प्रिय आनन्द संघ मुझे से क्या आशा करता है? आनन्द, मैंने बिना कुछ छिपाए दिल खोलकर धम्म का उपदेश दिया। तथागत ने कुछ भी छिपाकर नहीं रखा जैसे कुछ दूसरे शिक्षक छिपाया करते हैं। प्रिय आनन्द! तथागत भिक्षु संघ को और क्या बता सकते हैं। आनन्द, सूर्य के समान स्वयं प्रज्ज्वलित हो जाओ। जिस तरह धरती प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर रहती है दूसरों पर आश्रित न रहो। स्वयं पर विश्वास करो, दूसरों पर निर्भर न रहो। सत्यवादी बनो, सदैव सत्य की शरण लो और किसी के आगे आत्मसमर्पण न करो।”

मुझे भी बुद्ध के शब्दों को धारण करना है। “स्वयं का मार्गदर्शक बनो। अपने स्वयं के तर्क की शरण लो। दूसरों के उपदेश को सुनो दूसरों के सामने न झुको। सत्यवादी बनो। सत्य की शरण लो। कभी भी किसी के सामने आत्मसमर्पण न करो।” अगर आप इस अवसर पर भगवान बुद्ध के इन संदेशों को स्मरण रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपका फैसला कभी गलत नहीं होगा।’

‘जनता, 27 जून, 1936

वसंत मून तथा संपादकों द्वारा अनुदित

मुझे बुद्ध धर्म क्यों प्रिय है

मुझे दिये गये थोड़े से समय में मुझसे दो सवालों का जवाब देने के लिए कहा गया है। पहला सवाल है कि “मुझे बौद्ध धर्म क्यों प्रिय है?” और दूसरा ये है कि “मौजूदा परिस्थितियों में यह संसार के लिए कितना उपयोगी है?” मुझे बौद्ध धर्म बेहतर लगता है, क्योंकि यह समन्वित रूप से तीन सिद्धांत देता है जैसा कि कोई अन्य धर्म नहीं देता। अन्य सभी धर्म ईश्वर, आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन इत्यादि प्रश्नों से परेशान है। बौद्ध धर्म प्रज्ञा (अंधविश्वास एवं प्राकृतिवाद के उलट समझ एवं बुद्धि का उपदेश देता है) यह करुणा का पाठ पढ़ाता है। यह समता (समानता) की शिक्षा देता है। पृथ्वी पर अच्छे एवं खुशहाल जीवन के लिए मनुष्य इन्हीं चीजों को पाना चाहता है। बौद्ध धर्म के यही तीन सिद्धांत मुझे आकर्षित करते हैं। यहीं तीन सिद्धांत दुनिया का भी आकर्षण होने चाहिए। ईश्वर या आत्मा समाज को नहीं बचा सकते हैं।

एक तीसरी बात भी है जिसे दुनिया को, खासतौर पर इसके दक्षिणी एशियाई हिस्से को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। दुनिया को कार्ल मार्क्स और साम्यवाद जिनके वे जनक बनाए गए हैं, का सामना करने की नौबत आ गयी है। यह बड़ी गंभीर चुनौती है। क्योंकि मार्क्सवाद और साम्यवाद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित मसले हैं। उन्होंने सभी देशों के धर्मों की नींदें हिलाकर रख दी हैं। मैं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बौद्धधर्म के लोगों का रुझान साम्यवाद की ओर होता देखकर बहुत अचंभित हूं। इसका मतलब है कि वे लोग यह नहीं समझते हैं कि बौद्ध धर्म है क्या मेरा दावा है कि बौद्ध धर्म मार्क्स और उनके साम्यवाद का पूर्ण जबाब है।

रूसी प्रकार का साम्यवाद एक रक्त रंजित संघर्ष के द्वारा साम्यवाद लाना चाहता है। बौद्ध धर्म का साम्यवाद रक्त रहित मानसिक क्रांति द्वारा साम्यवाद लाना चाहता है। जो लोग साम्यवाद को अपनाने के लिए आतुर हैं वे ध्यान रखें कि संघ एक साम्यवादी संगठन है। यहां कोई निजी सम्पत्ति नहीं है। ऐसा किसी हिंसा द्वारा नहीं किया गया है। यह सिर्फ विचारों के बदलाव द्वारा लाया गया है और फिर भी 2500 सालों से चलता आ रहा है। हो सकता है कि उसमें कुछ गिरावट आयी हो, लेकिन यह विचार अभी भी बहुत ओजस्वी है। रूसी साम्यवाद के इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। इसके अलावा उन्हें दो और प्रश्नों का उत्तर देना होगा पहला यह कि साम्यवादी व्यवस्था की जरूरत

हमेशा के लिए क्यों है? यह माना जाना चाहिए कि उन लोगों ने ऐसा काम कर दिया है जो कि रूस के लोग कभी न कर पाते। लेकिन जब काम पूरा हो गया है तो जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया है लोगों को स्वतंत्रता के साथ-साथ प्रेम क्यों न मिले। इसलिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के रूसी जाल में कूदने से सचेत रहना चाहिए। इसमें से वे कभी नहीं निकल पाएंगे। उनके लिए जरूरी सिर्फ इतना है कि वे बुद्ध और उनकी उन शिक्षाओं का अध्ययन करें जिन्हें उन्होंने उचित बताया है और उनकी शिक्षाओं को राजनीतिक रूप प्रदान करें। गरीबी तो है और हमेशा ही रहेगी। रूस में भी तो गरीबी है, लेकिन गरीबी मनुष्य की स्वतंत्रता की बलि चढ़ाने का बहाना नहीं हो सकती है।

दुर्भाग्य से बुद्ध की शिक्षाओं की सही व्याख्या कर उनको नहीं समझा गया है इस तथ्य को पूरी तरह से गलत तरीके से समझा गया है कि उनका उपदेश शिक्षाओं और सामाजिक सुधारों का संग्रह है। एक बार यह समझ लिया गया कि बुद्ध धर्म सामाजिक उपदेश है तो बुद्ध धर्म का पुनरोदय दुनिया के लिए शाश्वत घटना होगी और तब पूरी दुनिया समझ जाएगी कि बुद्ध धर्म सबको इतना आकर्षित क्यों करता है।

(हस्ता) भीमराव अम्बेडकर

26, अलीपुर रोड, नई दिल्ली,

दिनांक 12 मई, 1956

बी.सी. लंदन

द्वारा प्रसारित भाषण, 12 मई, 1956

भारत में बुद्ध धर्म की लहर कभी कमजोर नहीं होगी

12 मई, 1956 को प्रबुद्ध भारत में एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें भारतीय बौद्ध परिषद की सभी शाखाओं से 2500वीं बुद्ध जंयती मनाने का निवेदन किया गया था। तदनुसार 24 मई, 1956 को बंबई के 'नारे पार्क' में एक ऐतिहासिक सभा की व्यवस्था की गयी थी। इस सभा के लिए करीब पचहत्तर हजार लोग इकट्ठे हुए थे।

सभा की अध्यक्षता बंबई राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री श्री बालासाहेब खेर ने की। उन्होंने बुद्ध और बुद्ध के धम्म पर अपने विचार व्यक्त किये। उनके भाषण के बाद डॉ. अम्बेडकर ने घोषणा की कि वह अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे। वीर सावरकर ने बुद्ध धर्म में उपदेशित अहिंसा पर कई लेख लिखे थे।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में सावरकर पर तीक्ष्ण प्रहार किए। क्रोध में आकर डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि-अगर हमें ठीक-ठीक पता चल जाता कि सावरकर कहना क्या चाहते हैं तो वह उनका जवाब देते। ऐसा लग रहा था कि जैसा बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के नेताओं के बीच भयंकर घमासान छिड़ गया हो। डॉ. अम्बेडकर ने गरजते हुए कहा कि जो लोग उनके उत्थान के लिए प्रयास करना चाहते हैं केवल उनको ही और उनके लोगों की आलोचना का अधिकार है। उनके आलोचक उन्हें अकेला रहने दें उन्हें और उनके लोगों को गर्त में गिरने दें।

डॉ. अम्बेडकर ने साथ-साथ कहा कि हां उनके लोग भेड़ हैं और वह उनके चरवाहे हैं। उनसे बड़ा धर्मशास्त्री कोई और नहीं है। वे उनके पीछे-पीछे चलें और धीरे-धीरे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उनके लिए बौद्ध हिंदू धर्म से काफी अलग है। उन्होंने आगे कहा "हिंदू धर्म ईश्वर में विश्वास करता है। बौद्धधर्म में कोई ईश्वर नहीं है। बौद्धधर्म के अनुसार आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। हिंदू धर्म चतुर्वर्ण और जाति व्यवस्था में आस्था रखता है। बौद्धधर्म में चतुर्वर्ण और जाति-व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है।"

उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि बौद्ध धर्म पर उनकी पुस्तक जल्दी की प्रकाशित होगी। बौद्ध धर्म के संगठन के सभी सुराखों को उन्होंने बंद कर दिया है और

अब वे इसे प्रकाशित करके रहेंगे। साम्यवादियों को बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वे जान सकें कि मानवता की बुराइयों को कैसे समाप्त किया जाए।

अपने भाषण के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने अपनी तुलना मोजेज से की जिन्होंने अपने लोगों को मिस्र से स्वतंत्रता की धरती फिलीस्तीन पहुंचाया। उनके अनुसार किसी धर्म के पतन के तीन कारण होते हैं। उस धर्म में बाध्यकारी सिद्धांतों का अभाव, बहुमुखी प्रतिभा एवं मन जीतने वाले वाचकों की कमी और आसानी से समझ आने वाले सिद्धांतों का अभाव।

उन्होंने यह घोषण भी की कि वह बुद्ध का एक विशाल मंदिर बनवाने वाले हैं। बंबई में इस प्रकार उनके अंतिम भाषण की समाप्ति हुई।

